

राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के तहत स्थापित)



वार्षिक लेखा एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

2013-2014

S. No.	Name	Page No.
1	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन	1-8
2	तुलन पत्र	9-10
3	आय एवं व्यय लेखा	11-12
4	तुलन पत्र की अनुसूचियाँ	13-31
5	आय एवं व्यय खाते की अनुसूचियाँ	32-39
6	खातों की अनुसूचियाँ	40-47
7	तुलन पत्र और आय एवं व्यय खाते के परिशिष्ट	48-54
8	प्राप्तियों और भुगतान लेखा	55-57
9	प्राप्तियाँ एवं भुगतान एक नज़र में	58-62



लेखा परीक्षा प्रतिवेदन



सत्यमेव जयते

संख्या / No.....

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग

कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय)

शाखा कार्यालय राजस्थान, जनपथ, जयपुर-302 005

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

Office of the Principal Director of Audit (Central)

Branch office Rajasthan, Janpath, Jaipur-302 005

दिनांक / Date.....

सेवा में,

सचिव,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
(माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग)
नई दिल्ली - 110001

विषय:- केन्द्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान, किशनगढ़, अजमेर के वर्ष 2013-14 के लेखों पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

केन्द्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान, किशनगढ़, अजमेर के वर्ष 2013-14 के लेखों पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद संलग्न है।

2. संसद के पटल पर उक्त पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन रखे जाने की तारीख सूचित करने का श्रम करें।
3. उक्त प्रतिवेदन का अंग्रेजी अनुवाद मय परीक्षित वार्षिक लेखों की प्रति को इस कार्यालय के पत्र दिनांक 31.10.2014 द्वारा पूर्व में ही जारी किया जा चुका है।
4. पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति की सूचना भिजवायें।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

भवदीय

ह./-

उप निदेशक/सी.आर.ए. II

क्रमांक:सी.आर.ए.II(व्यय)/एस.ए.आर./सी.यू.आर./2013-14/1178 दिनांक: 20.11.14
प्रतिलिपि प्रो. ए.पी. सिंह, कुलपति, केन्द्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान, बान्दरसिंदरी, किशनगढ़, अजमेर राजस्थान को इस कार्यालय के पूर्व पत्रांक दिनांक 31.10.2014 की निरन्तरता में उक्त पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाता है।

उप निदेशक/सी.आर.ए. II

Mahalekhakar Bhawan, Janpath, Jaipur-302005

Phone/फोन : 0141-2385431-39

E-mail : brpdacahmedabad@cag.gov.in

महालेखाकार भवन, जनपथ, जयपुर-302005

फैक्स/Fax : 0141-2385038



31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान, किशनगढ़ (अजमेर) के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

हमने 31 मार्च 2014 तक केन्द्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान (सी.यू.आर.), किशनगढ़ (अजमेर) के के संलग्न तुलन-पत्र और केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 की धारा 31(1) के अंतर्गत के साथ पठित नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां, एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अन्तर्गत उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय-व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा की लेखापरीक्षा करली है। इन वित्तीय विवरणों का उत्तरदायित्व केन्द्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान के प्रबन्धन का है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में केवल वर्गीकरण, उत्तम लेखाकरण प्रथाओं के साथ अनुरूपता, लेखाकरण मानकों और प्रकटन मानकों आदि के संबंध में केवल लेखाकरण व्यवहार पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक (सी ए जी) की टिप्पणियां शामिल हैं। कानून, नियमों एवं विनियमों (औचित्य एवं नियमितता) तथा दक्षता एवं निष्पादन पहलुओं आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां यदि कोई हो, निरीक्षण प्रतिवेदनों/सी ए जी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के माध्यम से अलग से सूचित की जाती है।
3. हमने भारत में सामान्य रूप से स्वीकार किए गए लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। इन मानकों में अपेक्षित है कि हम इस विषय में समुचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि क्या वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण गलत विवरणों से मुक्त है, योजना बनाते हैं और लेखा परीक्षा करते हैं। लेखापरीक्षा में नमूना के आधार पर जाँच करना, रकमों का समर्थन करने वाले और वित्तीय विवरणों में प्रकटन शामिल होते हैं। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त किए गए लेखाकरण सिद्धान्तों तथा प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का निर्धारण और वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल है। हमें विश्वास करते हैं कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे मत के लिए समुचित आधार प्रस्तुत करती है।
4. अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:-
 - (i) हमने वह समस्त सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार आवश्यक थे।
 - (ii) इस रिपोर्ट द्वारा डील किए गए तुलन-पत्र, आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित फॉर्मेट में तैयार नहीं किए गए हैं।



- (iii) हमारी राय में केन्द्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान किशनगढ़, अजमेर द्वारा अनुरक्षित किए गए लेखाओं की समुचित बहियाँ और अन्य सुसंगत अभिलेख, जहां तक ऐसी बहियों के संबंध में हमारी जांच से प्रकट होता है, संधारित किए गए हैं।
- (iv) हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:-

लेखाओं पर टिप्पणियां

(क) आय एवं व्यय लेखा

क.1 अन्य आय बैंकों से प्राप्त ब्याज (अनुसूची 14 डी एवं ई) रू. 274.92 लाख

इसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से क्रमशः प्राप्त अनुदान रू. 10.00 करोड़, रू. 50.00 करोड़ एवं रू. 50.00 करोड़ में से फेलेक्सी (लचीले) बचत खातों में तीन स्थायी जमा राशि रू. 9,74,20,000/-, रू.49,97,65,000/- एवं रू. 50,53,40,000/- पर अर्जित ब्याज रू. 1,54,07,264/- शामिल है।

लेखा परीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि उपर्युक्त अनुदान नामतः दोनों उद्देश्य आवर्ती और अनावर्ती हेतु प्राप्त हुये थे। अनावर्ती भाग के अनुदान पर अर्जित ब्याज राजस्व प्राप्ति नहीं था। यह पूंजीगत आस्तियों हेतु प्राप्त निधि के अस्थायी निवेश कर अर्जित किया गया था। अतएव यह आय एवं व्यय लेखा के बजाय संबंधित अनुदान को जमा किया जाना चाहिए था, किन्तु अर्जित ब्याज की समस्त राशि को आय एवं व्यय लेखा को जमा कर दिया गया था।

परिणामतः आय को रू. 1,54,07,264/- (अनावर्ती अनुदान की राशि पर समानुपातिक अंश आधार पर अभिकलित अर्जित ब्याज) से अधिक एवं अव्ययित अनुदान के दायित्व को इसी सीमा तक कम बताया गया।

ख. सामान्य

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से 2001 में समस्त केन्द्रीय स्वायत्तशासी निकायों के लेखाओं एकरूप प्रत्र जारी किए गए थे केन्द्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान, किशनगढ़, (अजमेर) द्वारा भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा उच्चतर शिक्षण संस्थाओं हेतु जारी किए गए नए प्रपत्र जिनको अब भी नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श द्वारा अंतिम रूप दिया जाना है, में अपने लेखा तैयार किए गए हैं।



ग. सहायता अनुदान

वर्ष के दौरान प्राप्त सहायता अनुदान रू. 125.00 करोड़ (रू. 15.00 करोड़ मार्च में प्राप्त हुए) एवं पिछले वर्ष के असमायोजित/अव्ययित अनुदान रू. 166.00 करोड़ में से संगठन ने जैसा कि दिनांक 31.03.2014 को 34.94 करोड़ अप्रयुक्त शेष छोड़ते हुए राशि रू. 256.66 करोड़ का उपयोग किया।

घ. लेखाओं पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

पूर्ववर्ती पैराओं में की गई टिप्पणियों का जैसा कि 31 मार्च 2014 को निवल प्रभाव यह रहा कि दायित्वों को रू. 154.07 लाख से कम बताया गया एवं अधिशेष को रू. 154.07 लाख से अधिक बताया गया।

च. प्रबन्धन पत्र

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल न की गई कमियां, उपचारी/सुधारात्मक कार्यवाही के लिए पृथक रूप से जारी प्रबन्धन पत्र के माध्य से प्रबंधन की सूचना में लाई गई।

V. पिछले पैराग्राफों में हमारी अभ्युक्तियों के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट द्वारा डील किए गए तुलन-पत्र, आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, लेखा बहियों के अनुरूप हैं।


VI हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखाकरण नीतियाँ तथा लेखाओं पर टिप्पणियों के साथ पठित तथा उपर्युक्त उल्लिखित महत्वपूर्ण मामलों तथा इस पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुबन्ध में उल्लिखित अन्य मामलों के अध्यधीन उक्त वित्तीय विवरण, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धान्तों के अनुरूप सही एवं उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं:-



क. जहाँ तक यह 31 मार्च 2014 को केन्द्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान किशनगढ़ (अजमेर) के कार्यों के तुलन-पत्र से सम्बंधित है और

ख. जहाँ तक यह उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा के अधिशेष से सम्बन्धित है।

स्थान: जयपुर
दिनांक: 18.11.14

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लिए

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय) अहमदाबाद



लेखापरीक्षा के निवल प्रभाव की विवरण
वर्ष 2013-14 के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान किशनगढ़ (अजमेर)

क्र.सं.	टिप्पणीयाँ	दायित्व		संपत्तियाँ		अधिशेष	
		अधिक बताए गए	कम बताए गए	अधिक बताए गए	कम बताए गए	अधिक बताए गए	कम बताए गए
	क.1	—	154.07	—	—	154.07	—
योग	—	—	154.07	—	—	154.07	—

कम बताए गए : 154.07

अधिक बताए गए: 154.07

अधिक बताए गए अधिशेष

: रू. 154.07 लाख

घटाएं : कम बताए गए दायित्व

: रू. 154.07 लाख

कम बताए गए/अधिक बतायी गए संपत्तियाँ

: शुन्य

व. लेखापरीक्षा अधिकारी
के.प्रा.ले.प.-II (व्यय)



तुलन पत्र
31 मार्च 2014 तक



तुलन पत्र
दिनांक 31 मार्च 2014 तक

(रु. लाखों में)

निधियों के स्रोत	अनुसूची	2013-14	2012-13
अप्रतिबंधित निधियाँ			
कॉर्पस/पूँजी निधि	1	32,956.44	10,070.35
पूँजी आरक्षित कॉर्पस निधि	1A	11.94	-
सामान्य निधि	2	899.85	550.52
निर्दिष्ट/निर्धारित निधियाँ	3	44.20	15.09
प्रतिबंधित निधियाँ			
ऋण/उधारियाँ	4	812.00	-
वर्तमान देयताएँ एवं प्रावधान	5	-	-
	6	3,267.13	16,621.37
योग		37,991.56	27,257.33
कोष का अनुप्रयोग			
अचल सम्पतियाँ (सकल मूल्य रु. 2650.47 लाख)			
पूँजीगत कार्य प्रगति पर	7	1,890.38	1,487.42
	7	31,066.06	8,098.97
निवेश	8	-	-
चल सम्पतियाँ (वर्तमान परिसम्पति)			
ऋण, अग्रिम और जमा	9	4,459.83	820.44
	10	575.29	16,850.50
योग		37,991.56	27,257.33
खातों पर टिप्पणियाँ	22		



आय तथा व्यय लेखा
31 मार्च, 2014 को समाप्त अवधि/वर्ष हेतु

(रु. लाखों में)

आय	अनुसूची	2013-14			2012-13	
		अप्रतिबंधित निधियाँ			प्रतिबंधित निधियाँ	योग
		कॉर्पस	नर्दिष्ट कोष	सामान्य निधि		
शैक्षणिक प्राप्तियाँ	11			102.69		68.95
अनुदान और परिदान (वर्तमान वर्ष 2937.19 लाख रु. एवं विगत वर्ष 2000.00 लाख) (जहाँ तक उपयोग किया गया)	12			1,805.01	-	1,444.13
निवेशों से आय	13			-	-	-
अन्य आय- विश्वविद्यालय की विविध प्राप्तियाँ	14			10.89		23.75
अन्य आय- बैंक से प्राप्त ब्याज	14 (D & E)			274.92		230.90
डेफर्र्ड राजस्व लाभ जहाँ तक (मूल्य ह्रास के बराबर) एएस 12 के अनुसार				277.72		-
योग (क)		-	-	2,471.23	-	1,767.73
व्यय						
कर्मचारी भुगतान एवं अनुलाभ	15			1,208.80		792.09
शैक्षणिक व्यय	16			196.29		105.79
प्रशासनिक और सामान्य व्यय	17			328.60		281.30
परिवहन व्यय	18			11.87		10.03
मरम्मत एवं रखरखाव	19			59.28		16.85
वित्त लागत	20			0.17		0.81
अन्य व्यय	21			-		-
योग (ख)		-	-	1,805.01	-	1,206.87
मूल्यह्रास (योग ग)				277.72		237.26
व्यय से आय के अधिक होने से शेष का आधिक्य (क- (ख+ग))				388.50		323.60
सामान्य निधि में स्थानांतरित - कुल -घ						
योग (ख+ग+घ)				2,471.23		1,767.73
खातों पर टिप्पणी	22					



31 मार्च 2014 तक क तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

अनुसूची -1 निकायी (कॉरपस)/पूँजीगत कोष

(रु. लाखों में)

	2013-14	2012-13
वर्ष के आरम्भ में शेष	10,070.35	4,709.83
जोड़ें: निकायी (कॉरपस)/पूँजीगत कोष में अशदान	-	
जोड़ें / (घटायेँ): परिसंपत्तियों की खरीद और प्राप्त अनुदान से कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में स्थानांतरण	23,646.72	5,360.52
घटायेँ: वास्तविक परिसंपत्तियों में अंतर के कारण	(0.54)	-
घटायेँ: एएस 12 के अनुसार डेफर्ड आय के कारण	(760.09)	
वर्ष के अंत में शेष	32,956.44	10,070.35

अनुसूची-1क पूँजी अनुदान

(रु. लाखों में)

	2013-14	2012-13
वर्ष के आरम्भ में शेष	-	-
जोड़ें: सौर प्रणाली के मद में एमएनआरई भारत सरकार से प्राप्त पूँजी अनुदान	11.94	-
वर्ष के अंत में शेष	11.94	

अनुसूची-2 सामान्य निधि

(रु. लाखों में)

	2013-14	2012-13
वर्ष के आरम्भ में शेष	-	
जोड़ें / (घटायेँ): शुद्ध आय का शेष / (व्यय) आय एवं व्यय खाते से स्थानांतरित	550.52	226.92
घटायेँ: मरिट स्कॉलरशिप के लिए कॉरपस फंड में स्थानांतरण	388.50	323.60
घटायेँ: मरिट स्कॉलरशिप के लिए कॉरपस फंड में स्थानांतरण	(39.17)	
वर्ष के अंत में शेष	899.85	550.52

31 मार्च 2014 तक के तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

अनुसूची-3 निर्दिष्ट/निर्धारित कोष

(रु. लाखों में)

	स्टाफ कल्याण कोष	मेरिट स्कॉलरशिप हेतु कॉर्पोरेट कोष	छात्र सहायता कोष	छात्र कल्याण संघ कोष	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
क) कोष का आरम्भिक शेष	-	14.72	0.27	0.10	15.09	25.11
ख) कोष में योगदान:	-	-	-	-	-	-
i. दान/अनुदान	-	39.17	-	-	39.17	-
ii. कोष से किए गए निवेश पर लाभ	-	-	-	-	-	-
iii. कोषों के निवेश से उपार्जित आय	-	0.09	-	-	0.09	-
iv. अन्य योगदान (स्वरूप स्पष्ट करें)	0.30	-	0.88	3.65	4.83	0.37
योग (क+ख)	0.30	53.98	1.15	3.75	59.18	25.48
ग) कोषों के उद्देश्यानुसूचित उपयोग/ व्यय	-	-	-	-	-	-
i. पूंजीगत व्यय	-	-	-	-	-	-
- अचल सम्पत्तियाँ	-	-	-	-	-	-
- अन्य	-	-	-	-	-	-
योग	-	-	-	-	-	-
ii. राजस्व व्यय	-	-	-	-	-	-
- वेतन, मजदूरी एवं भत्ते आदि	-	-	-	-	-	-
- किराया	-	-	-	-	-	-
- अन्य व्यय	-	-	0.01	0.08	0.09	-
- मैरिट छात्रवृत्तियों हेतु भुगतान	-	14.89	-	-	14.89	10.39
योग (ग)	-	14.89	0.01	0.08	14.98	10.39
वर्ष समाप्ति पर शुद्ध शेष (क+ख+ग)	0.30	39.09	1.14	3.67	44.20	15.09





31 मार्च 2014 तक के तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

अनुसूची-4 प्रतिबंधित निधि

(रु. लाखों में)

	सामुदायिक कॉलेज योजना	प्रायोजित-चेयर ऑफ प्रोफेसर - बैंक ऑफ इंडिया द्वारा	यूजीसी-ग्रंट स्कूल ऑफ एजुकेशन	2013-14	2012-13
क) कोष का आरम्भिक शेष	-	-	-	-	-
ख) कोष में योगदान:	-	-	-	-	-
i. दान/अनुदान	19.00	15.00	1,000.00	1,034.00	-
ii. कोष के लिए किए गए निवेशों से आय	-	-	-	-	-
iii. कोषों के निवेश से उपार्जित आय	-	-	-	-	-
iv. अन्य योगदान (स्वरूप स्पष्ट करें)	-	-	-	-	-
- नकद और पंजीकरण शुल्क में	0.65	-	-	0.65	-
- विश्वविद्यालय कोष से	-	-	-	-	-
योग (क+ख)	19.65	15.00	1,000.00	1,034.65	-
ग) कोषों के उद्देश्यानु रूप उपयोग/ व्यय	-	-	-	-	-
i. पूंजीगत व्यय	-	-	-	-	-
- अचल सम्पत्तियाँ	-	-	-	-	-
- अन्य सीपीडब्ल्यूडी में जमा	-	-	200.00	200.00	-
योग	-	-	-	-	-
ii. राजस्व व्यय	-	-	-	-	-
- जमा	-	-	-	-	-
- वेतन, मजदूरी एवं भत्ते आदि	1.96	5.72	13.84	21.52	-
- किराया	-	-	-	-	-
- अन्य प्रशासनिक व्यय	0.20	-	-	0.20	-
- आकस्मिकता	-	0.93	-	-	-
योग	-	-	-	-	-
योग (ग)	2.16	6.65	213.84	222.65	-
वर्ष समाप्ति पर शुद्ध शेष (क+ख+ग)	17.49	8.35	786.16	812.00	-

31 मार्च 2014 तक के तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

अनुसूची -5 प्रतिभूत ऋण

(रु. लाखों में)

	2013-14		2012-13	
1. केन्द्र सरकार	-	-	-	-
2. राज्य सरकार (स्पष्ट करें)	-	-	-	-
3. वित्तीय संस्थान	-	-	-	-
क) आवधिक ऋण	-	-	-	-
ख) उपाजित और देय ब्याज	-	-	-	-
4. बैंक:	-	-	-	-
क) आवधिक ऋण	-	-	-	-
- उपाजित और देय ब्याज	-	-	-	-
ख) अन्य ऋण (स्पष्ट करें)	-	-	-	-
- उपाजित और देय ब्याज	-	-	-	-
5. अन्य संस्थान और अभिकरण	-	-	-	-
6. ऋण पत्र और बॉण्ड्स	-	-	-	-
7. अन्य (स्पष्ट करें)	-	-	-	-
योग	-	-	-	-
टिप्पणी: एक वर्ष में देय राशि				

अनुसूची -5 प्रतिभूत ऋण

(रु. लाखों में)

	2013-14		2012-13	
1. केन्द्र सरकार	-	-	-	-
2. राज्य सरकार (स्पष्ट करें)	-	-	-	-
3. वित्तीय संस्थान	-	-	-	-
4. बैंक:	-	-	-	-
क) आवधिक ऋण	-	-	-	-
ख) अन्य ऋण (स्पष्ट करें)	-	-	-	-
5. अन्य संस्थान और अभिकरण	-	-	-	-
6. ऋण पत्र और बॉण्ड्स	-	-	-	-
7. सावधि जमा	-	-	-	-
8. अन्य (स्पष्ट करें)	-	-	-	-
योग	-	-	-	-
टिप्पणी: एक वर्ष में देय राशि				





31 मार्च 2014 तक के तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

अनुसूची -6 वर्तमान देयताएँ और प्रावधान

(रु. लाखों में)

	2013-14	2012-13
क. वर्तमान देयताएँ		
1. कर्मचारियों (स्टाफ) की जमाएँ	-	-
2. छात्रों की जमाएँ (परिशिष्ट-1 के अनुसार)	36.65	10.91
3. विविध लेनदार	-	83.12
क) वस्तुओं और सेवाओं के लिये (परिशिष्ट-2 के अनुसार)	0.89	83.12
ख) पूंजीगत माल के लिये	-	-
4. निम्न पर उपाजित ब्याज किन्तु देय नहीं:	-	-
क) प्रतिभूत ऋण/उधारियाँ	-	-
ख) अप्रतिभूत ऋण/उधारियाँ	-	-
5. सांविधिक देयताएँ (जीपीएफ, टीडीएस, डब्ल्यूसी, कर, सीपीएफ, जीआईएस, एनपीएस):	63.94	81.70
क) अतिदेय	-	-
ख) अन्य (परिशिष्ट-3 के अनुसार)	63.94	81.70
6. अन्य वर्तमान देयताएँ (परिशिष्ट-4 के अनुसार)	-	16,288.19
क) वेतन कटौती	89.80	-
ख) प्रायोजित परियोजना के एवज में प्राप्तियाँ	80.99	27.96
ग) प्रायोजित अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति के एवज में प्राप्तियाँ	(2.02)	10.12
घ) अन्य कोष के एवज में देयता	4.51	-
ङ) निधिकरण अभिकरण (फंडिंग एजेंसी)	2.32	7.29
च) संगोष्ठी/सम्मेलन के एवज में प्राप्तियाँ	1.08	3.32
छ) अप्रयुक्त अनुदान		
क) आवर्ती	1,925.30	793.11
ख) गैर आवर्ती	783.01	15,351.82
ज) अन्य देयताएँ	153.62	94.57
योग (क)	3,140.10	16,463.92

क्रमशः...

31 मार्च 2014 तक के तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

क्रमशः...

ख)	प्रावधान					
1.	कराधान के लिए	-	-	-	-	-
2.	उपदान	-	-	-	-	-
3.	अधिवर्षिता/पेंशन	-	-	-	-	-
4.	क संचित अवकाश नकदीकरण	-	57.99	-	-	19.95
4.	ख अन्य संस्थान से अवकाश नकदीकरण प्राप्तियाँ	-	1.25	-	-	1.25
5.	व्यय देय	-	-	-	-	-
6.	व्यापार वारंटियाँ/दावे	-	-	-	-	-
7.	अन्य (स्पष्ट करें)	-	67.79	-	-	136.25
	कार्यशाला और सम्मेलन प्रभार	-	-	-	-	-
	अतिथि संकाय के लिए वाहन	-	-	-	-	-
	देय मंहगाई भत्ता	-	-	-	7.60	-
	एलटीए देय	-	-	-	-	-
	वेतन देय	-	-	-	56.21	-
	किराया, दर एवं कर (टैक्स)	67.79	-	-	67.79	-
	ट्रांसपोर्ट भत्ता	-	-	-	0.43	-
	बाल शिक्षा भत्ता	-	-	-	0.14	-
	विकित्ता बिल पुनर्भरण	-	-	-	1.06	-
	सुरक्षा प्रभार देय	-	-	-	3.03	-
	योग (ख)		127.03			157.45
	योग (क+ख)		3,267.13			16,621.37





31 मार्च 2014 तक के तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

**अनुसूची-6 वर्तमान देयताएँ और प्रावधान
अन्य प्रायोजित परियोजनाओं, अध्येतावृत्ति एवं छात्रवृत्ति और अन्य कोष के एवज में प्राप्तियाँ**

(रु. लाखों में)

डीएसटी प्रेरित संकाय पुरस्कार – डॉ. रफीक रज्जाक शेख	प्रारम्भिक शेष		लेन-देन		अंतिम शेष	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	-	-	-	-	-	-
2. डीएसटी – विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	-	-	10.86	19.00	-	8.14
3. नकद प्राप्ति, पंजीकरण और अन्य	-	-	-	-	-	-
4. विश्वविद्यालय कोष से	-	-	-	-	-	-
योग	-	-	10.86	19.00	-	8.14

(रु. लाखों में)

एन्हासिंग स्कालर / फेकल्टी रिसोर्सेस ईएनसीओआरई (एन्कोर)	प्रारम्भिक शेष		लेन-देन		अंतिम शेष	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	-	14.26	-	-	-	14.26
2. संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	-	-	-	-	-	-
3. नकद प्राप्ति, पंजीकरण और अन्य	-	-	-	-	-	-
4. विश्वविद्यालय कोष से	-	-	-	-	-	-
योग	-	14.26	-	-	-	14.26

(रु. लाखों में)

ग्रांट फेकल्टी रिचार्ज प्रोग. – डॉ- सुरेन्द्र – वेतन	प्रारम्भिक शेष		लेन-देन		अंतिम शेष	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	-	-	4.60	6.00	-	1.40
2. संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	-	-	-	-	-	-
3. नकद प्राप्ति, पंजीकरण और अन्य	-	-	-	-	-	-
4. विश्वविद्यालय कोष से	-	-	-	-	-	-
योग	-	-	4.60	6.00	-	1.40

31 मार्च 2014 तक के तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

(रु. लाखों में)

परियोजना 'बाएसियन एनालिसिस' डॉ.- जितेंद्र कुमार	प्रारम्भिक शेष		लेन-देन		अंतिम शेष	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	-	-	-	-	-	-
2. सीएसआईआर	-	-	0.69	1.02	-	0.33
3. नकद प्राप्ति, पंजीकरण और अन्य	-	-	-	-	-	-
4. विश्वविद्यालय कोष से	-	-	-	-	-	-
योग	-	-	0.69	1.02	-	0.33

(रु. लाखों में)

परियोजना 'बाएसियन मॉडल (यूजीसी) डॉ.- जितेंद्र कुमार सांख्यिकी	प्रारम्भिक शेष		लेन-देन		अंतिम शेष	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	-	-	-	-	-	-
2. संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	-	-	-	-	-	-
3. नकद प्राप्ति, पंजीकरण और अन्य	-	-	-	-	-	-
4. विश्वविद्यालय कोष से	-	-	0.31	-	0.31	-
योग	-	-	0.31	-	0.31	-

(रु. लाखों में)

परियोजना 'काम्लेक्स डायनामिक्स..... फंक्शन्स' ए. पी. सिंह	प्रारम्भिक शेष		लेन-देन		अंतिम शेष	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	-	-	-	-	-	-
2. एसईआरबी - विज्ञान और अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड	-	-	1.17	2.00	-	0.83
3. नकद प्राप्ति, पंजीकरण और अन्य	-	-	-	-	-	-
4. विश्वविद्यालय कोष से	-	-	-	-	-	-
योग	-	-	1.17	2.00	-	0.83



31 मार्च 2014 तक के तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

(रु. लाखों में)

परियोजना 'सिंक्रोनाइजेशन..... कोन्टिक्टिव' डॉ. मनीष	प्रारम्भिक शेष		लेन-देन		अंतिम शेष	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	-	-	-	-	-	-
2. डीएसटी - विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	-	-	6.69	13.40	-	6.71
3. नकद प्राप्ति, पंजीकरण और अन्य	-	-	-	-	-	-
4. विश्वविद्यालय कोष से	-	-	-	-	-	-
योग	-	-	6.69	13.40	-	6.71

(रु. लाखों में)

शोध परियोजना डॉ- डी- सी- शर्मा - सॉलिड वेस्ट	प्रारम्भिक शेष		लेन-देन		अंतिम शेष	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	-	7.28	2.60	-	-	4.68
2. संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	-	-	-	-	-	-
3. नकद प्राप्ति, पंजीकरण और अन्य	-	-	-	-	-	-
4. विश्वविद्यालय कोष से	-	-	-	-	-	-
योग	-	7.28	2.60	-	-	4.68

(रु. लाखों में)

शोध परियोजना एक्सप्लर. बाँयोमोलेक्युल्स - प्रदीप वर्मा	प्रारम्भिक शेष		लेन-देन		अंतिम शेष	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	-	-	-	-	-	-
2. जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय	-	-	3.41	12.89	-	9.48
3. नकद प्राप्ति, पंजीकरण और अन्य	-	-	-	-	-	-
4. विश्वविद्यालय कोष से	-	-	-	-	-	-
योग	-	-	3.41	12.89	-	9.48

31 मार्च 2014 तक के तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

(रु. लाखों में)

शोध परियोजना – डॉ. मनीष श्रीमाली – स्पेक्ट्रल एनर्जी	प्रारम्भिक शेष		लेन-देन		अंतिम शेष	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	-	-	-	-	-	-
2. एसईआरबी – विज्ञान और अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड	-	-	2.13	13.00	-	10.87
3. नकद प्राप्ति, पंजीकरण और अन्य	-	-	-	-	-	-
4. विश्वविद्यालय कोष से	-	-	-	-	-	-
योग	-	-	2.13	13.00	-	10.87

(रु. लाखों में)

शोध परियोजना – डॉ. सुरेन्द्र निर्मेष नैनो टेक्नोलॉजी (प्रौद्योगिकी)	प्रारम्भिक शेष		लेन-देन		अंतिम शेष	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	-	-	-	-	-	-
2. एसईआरबी – विज्ञान और अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड	-	-	0.14	11.00	-	10.86
3. नकद प्राप्ति, पंजीकरण और अन्य	-	-	-	-	-	-
4. विश्वविद्यालय कोष से	-	-	-	-	-	-
योग	-	-	0.14	11.00	-	10.86

(रु. लाखों में)

प्रायोजित परियोजना – डॉ. तरुन भट्ट मॉलिक्यूलर (आणविक) मॉडल	प्रारम्भिक शेष		लेन-देन		अंतिम शेष	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	-	-	-	-	-	-
2. एसईआरबी – विज्ञान और अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड	-	-	1.06	9.00	-	7.94
3. नकद प्राप्ति, पंजीकरण और अन्य	-	-	-	-	-	-
4. विश्वविद्यालय कोष से	-	-	-	-	-	-
योग	-	-	1.06	9.00	-	7.94





31 मार्च 2014 तक के तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

(रु. लाखों में)

प्रायोजित परियोजना - जय कांत यादव -एएमवाईएल कॉन. के अध्ययन	प्रारम्भिक शेष		लेन-देन		अंतिम शेष	
	नाम	जमा	नाम	जमा	नाम	जमा
1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	-	-	-	-	-	-
2. एसईआरबी - विज्ञान और अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड	-	-	0.20	6.00	-	5.80
3. नकद प्राप्ति, पंजीकरण और अन्य	-	-	-	-	-	-
4. विश्वविद्यालय कोष से	-	-	-	-	-	-
योग	-	-	0.20	6.00	-	5.80

(रु. लाखों में)

प्रायोजित योजना प्रो. ए. पी. सिंह, एटीएम एनालिसिस	प्रारम्भिक शेष		लेन-देन		अंतिम शेष	
	नाम	जमा	नाम	जमा	नाम	जमा
1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	-	-	-	-	-	-
2. एनबीएचएम (राष्ट्रीय उच्च गणित बोर्ड)	-	7.00	7.41	0.41	0.00	-
3. नकद प्राप्ति, पंजीकरण और अन्य	-	-	-	-	-	-
4. विश्वविद्यालय कोष से	-	-	-	-	-	-
योग	-	7.00	7.41	0.41	0.00	-

(रु. लाखों में)

एमई / एम.टेक छात्रों हेतु पीजी छात्रवृत्तियाँ सहायता अनुदान	प्रारम्भिक शेष		लेन-देन		अंतिम शेष	
	नाम	जमा	नाम	जमा	नाम	जमा
1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	-	-	19.63	14.76	4.87	-
2. संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	-	-	-	-	-	-
3. नकद प्राप्ति, पंजीकरण और अन्य	-	-	-	-	-	-
4. विश्वविद्यालय कोष से	-	-	-	-	-	-
योग	-	-	19.63	14.76	4.87	-

31 मार्च 2014 तक के तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

(रु. लाखों में)

यूजीसी छात्रवृत्ति – जेआरएफ	प्रारम्भिक शेष		लेन-देन		अंतिम शेष	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	-	-	16.67	19.53	-	2.86
2. संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	-	-	-	-	-	-
3. नकद प्राप्ति, पंजीकरण और अन्य	-	-	-	-	-	-
4. विश्वविद्यालय कोष से	-	-	-	-	-	-
योग	-	-	16.67	19.53	-	2.86

(रु. लाखों में)

एआईयू- विश्वविद्यालय प्रशासन प्रबंधन पर राष्ट्रीय कार्यशाला	प्रारम्भिक शेष		लेन-देन		अंतिम शेष	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	0.14	-	-	-	0.14	-
2. संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	-	-	-	-	-	-
3. नकद प्राप्ति, पंजीकरण और अन्य	-	-	-	-	-	-
4. विश्वविद्यालय कोष से	-	-	-	-	-	-
योग	0.14	-	-	-	0.14	-

(रु. लाखों में)

सामुदायिक संसाधन एवं गठबंधन बैठक (कम्युनिटी रिसोर्स एंड एलायन्स मीटिंग)	प्रारम्भिक शेष		लेन-देन		अंतिम शेष	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	-	-	-	-	-	-
2. डीएसटी – विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	-	1.22	-	-	-	1.22
3. नकद प्राप्ति, पंजीकरण और अन्य	-	-	-	-	-	-
4. विश्वविद्यालय कोष से	-	-	-	-	-	-
योग	-	1.22	-	-	-	1.22



31 मार्च 2014 तक के तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

(रु. लाखों में)

डॉ. नागर राजू - ग्रीन बिल्डिंग (पर्यावरणानुकूल भवन) जागरूकता पर आईएसटीई कार्य	प्रारम्भिक शेष		लेन-देन		अंतिम शेष	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	-	-	-	-	-	-
2. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान - बॉम्बे	-	-	0.03	0.03	-	-
3. नकद प्राप्ति, पंजीकरण और अन्य	-	-	-	-	-	-
4. विश्वविद्यालय कोष से	-	-	-	-	-	-
योग	-	-	0.03	0.03	-	-

(रु. लाखों में)

अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन "एसओसीएनएम 2013"	प्रारम्भिक शेष		लेन-देन		अंतिम शेष	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	-	-	-	-	-	-
2. सीएसआईआर	1.00	-	-	1.00	-	-
3. नकद प्राप्ति, पंजीकरण और अन्य	-	-	-	-	-	-
4. विश्वविद्यालय कोष से	-	-	-	-	-	-
योग	1.00	-	-	1.00	-	-

(रु. लाखों में)

सांख्यिकी विभाग द्वारा राष्ट्रीय सम्मेलन	प्रारम्भिक शेष		लेन-देन		अंतिम शेष	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	-	-	-	-	-	-
2. सीएसआईआर	-	-	-	0.60	-	0.60
3. नकद प्राप्ति, पंजीकरण और अन्य	1.57	-	-	-	1.57	-
4. एनबीएचएम (राष्ट्रीय उच्च गणित बोर्ड)	-	-	0.01	1.00	-	0.99
5. विश्वविद्यालय कोष से	-	-	-	-	-	-
योग	1.57	-	0.01	1.60	-	0.02

31 मार्च 2014 तक के तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

(रु. लाखों में)

कॉम्पलेक्स एनालिसिस पर राष्ट्रीय सम्मेलन	प्रारम्भिक शेष		लेन-देन		अंतिम शेष	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	-	-	-	-	-	-
2. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान - बॉम्बे	-	2.10	2.09	-	-	0.01
3. नकद प्राप्ति, पंजीकरण और अन्य	-	-	-	-	-	-
4. विश्वविद्यालय कोष से	-	-	-	-	-	-
योग	-	2.10	2.09	-	-	0.01

(रु. लाखों में)

कॉम्पलेक्स एनालिसिस पर राष्ट्रीय सम्मेलन	प्रारम्भिक शेष		लेन-देन		अंतिम शेष	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	-	-	-	-	-	-
2. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान - बॉम्बे	-	-	-	-	-	-
3. नकद प्राप्ति, पंजीकरण और अन्य	-	-	-	-	-	-
4. विश्वविद्यालय कोष से	0.03	-	-	0.01	0.02	-
योग	0.03	-	-	0.01	0.02	-



31 मार्च 2014 तक के तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

अनुसूची-7 अचल सम्पतियाँ

(रु. लाखों में)

विवरण	सकल खण्ड			मूल्यद्वारा			शुद्ध (शेष) खण्ड		
	वर्ष के प्रारम्भ में लागत/मूल्यांकन	वर्ष के दौरान जोड़ा गया	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	वर्ष समाप्ति पर लागत/मूल्यांकन	वर्ष के दौरान जोड़ा गया	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	वर्ष के अंत तक योग	2013-14	2012-13
क. अचल सम्पतियाँ:									
I. भूमि									
क) फ्री होल्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) लीज (फंटे) पर (दिनांक 09.03.2010 से 209.83 हेक्टर (618.501 एकड़) 99 वर्ष के लिए लीज पर) 1 रुपये के लिए पूंजीकृत	0.00	-	-	0.00	-	-	-	0.00	0.00
ग) भूमि विकास व्यय	84.93	-	-	84.93	-	-	-	84.93	84.93
II. भवन:									
क) फ्री होल्ड भूमि पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) लीज भूमि पर	2.92	-	-	2.92	0.13	-	0.42	2.50	2.63
ग) मालिकाना हक वाले प्लॉट/परिसर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) शिक्षण संस्थानों से असम्बद्ध भूमि पर संरचनाएं (सुपरस्ट्रक्चर)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ङ) विद्युत फिक्चर एवं उपस्कर	5.27	-	-	5.27	-	-	-	-	-
III. संयंत्र मशीनरी एवं उपकरण	542.25	93.27	0.31	635.20	55.71	(0.05)	122.16	513.04	475.74
IV. वाहन	42.98	0.04	-	43.01	3.42	-	12.59	30.43	33.81
V. फर्नीचर एवं फिक्चर	676.37	378.32	-	1,054.70	85.95	-	235.72	818.98	526.60
VI. कार्यालय उपकरण	30.81	12.48	0.14	43.16	7.81	(0.03)	19.35	23.81	23.00
VII. कम्प्यूटर/सम्बन्धित उपकरण	267.93	83.86	-	351.80	107.11	-	169.04	182.76	160.82
VIII. बिजली संस्थापन	59.96	36.67	-	96.62	8.67	-	19.29	77.33	49.34
IX. पुस्तकालय पुस्तकें	186.18	61.91	-	248.09	36.50	-	95.29	152.80	127.39
X. ट्यूबवेल तथा जल आपूर्ति	0.88	-	-	0.88	0.15	-	0.19	0.68	0.73
XI. सॉफ्टवेयर	70.36	13.54	-	83.90	70.36	-	83.90	0.00	0.00
क. वर्तमान वर्ष का योग (संशोधित)	1,970.84	680.09	0.45	2,650.47	277.80	(0.08)	760.09	1,890.38	1,488.46
विगत वर्ष (असंशोधित)	1,241.15	730.83	0.60	1,971.38	237.25	0.01	483.96	1,487.42	994.36
XII. पूंजीगत कार्य प्रगति पर (संपन्न कार्य)	8,098.97	-	-	8,098.97	-	-	-	28,697.82	8,098.97
XII. पूंजी अग्रिम (परिशिष्ट -6 के अनुसार)								2,368.24	
ख. सकल पूंजीगत कार्य प्रगति पर योग (क+ख)	8,098.97	-	-	8,098.97	-	-	-	31,066.06	8,098.97
	10,069.81	680.09	0.45	10,749.44	277.80	(0.08)	760.09	32,956.45	9,587.43

टिप्पणी: वर्ष के दौरान, विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किए गए स्थायी परिसंपत्तियों के रजिस्टर और वित्तीय समिति के अनुमोदन के अनुसार विश्वविद्यालय के शुरू होने के बाद से अवमूल्यन दर के अनुरूप स्थायी परिसंपत्तियों की कीमतों का पुनर्वर्गीकरण और पुनर्गठन किया गया तथा लाभ और हानि खाते पर उसी अनुरूप चार्ज किया गया। अतिरिक्त अंतराल राशि 1.04 रु. एएस 12 की अनुसूची 1 के अनुदातर स्थगित लाभ पर चार्ज किया गया।

31 मार्च 2014 तक के तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

अनुसूची-8 निर्धारित/दान कोष निर्दिष्ट/स्थायी (एंडोमेंट) कोष से निवेश

(रु. लाखों में)

	2013-14	2012-13
1. केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों पर	-	-
2. राज्य सरकारी की प्रतिभूतियों पर	-	-
3. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों पर	-	-
4. शेयरों पर	-	-
5. ऋण पत्र और बॉण्ड्स	-	-
6. अन्य (स्पष्ट करें)	-	-
योग	-	-

अन्य निवेश

	2013-14	2012-13
1. केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों पर	-	-
2. राज्य सरकारी की प्रतिभूतियों पर	-	-
3. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों पर	-	-
4. शेयरों पर	-	-
5. ऋण पत्र और बॉण्ड्स	-	-
6. अन्य (स्पष्ट करें)	-	-
योग	-	-





31 मार्च 2014 तक के तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

अनुसूची - 9 चल सम्पतियाँ (वर्तमान परिसम्पत्ति)

(रु. लाखों में)

	2013-14		2012-13	
1. स्टाक:	-	-	-	-
2. विविध देनदार:	-	-	-	-
3. हस्तगत नगदी शेष (चैकों/ड्राफ्ट एवं पेशगी सहित)	-	0.53	1.51	1.51
4. बैंक बैलेंस (जिन्हें आगे निर्दिष्ट कोष से संबंधित या अन्यथा वर्गीकृत किया जाए)	-	-	-	-
क) अनुसूचित बैंकों से :				
- चालू खातों में	-	-	-	-
- सावधि जमा लेखा में	-	-	-	-
- बचत / पलेक्सी फिक्स्ड डिपॉजिट खातों में	-	4,459.30	-	818.93
बीओआई 666710210000001 मेरिट स्कॉलरशिप	39.34	-	12.36	-
बीओआई एसबी 666110210000002	4,107.21	-	609.00	-
बीओआई एसबी 666110210000003	296.40	-	136.60	-
एसबीबीजे 61126420190 (एनपीएस)	11.66	-	54.84	-
एसबीबीजे 61126421728 (मेरिट स्कॉलरशिप)	-	-	0.25	-
एसबीबीजे 61128875838	4.68	-	2.76	-
एसबीबीजे सचिवालय - एसबी 61068625501	-	-	3.12	-
ख) गैर अनुसूचित बैंकों से				
- चालू खातों में	-	-	-	-
- सावधि जमा खातों में	-	-	-	-
- बचत खातों में	-	-	-	-
5. डाकघर - बचतखाता	-	-	-	-
योग		4,459.83		820.44



31 मार्च 2014 तक के तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

अनुसूची-10 ऋण, अग्रिम और जमा

(रु. लाखों में)

	2013-14		2012-13	
1. कर्मचारी अग्रिम: (ब्याज रहित)				
क) वेतन	-	-	-	-
ख) त्योहार	-	-	-	-
ग) एलटीसी	-	-	-	-
घ) चिकित्सा अग्रिम (मेडिकल एडवांस)	-	-	-	-
ड) अन्य (स्पष्ट करें) (परिशिष्ट-5 के अनुसार)	-	2.37	-	-
2. कर्मचारियों को दीर्घकालीन अग्रिम: (ब्याज धारण)	-	-	-	-
क) वाहन ऋण	-	-	-	-
ख) आवास ऋण (होम लोन)	-	-	-	-
ग) अन्य (स्पष्ट करें)	-	-	-	-
3. अग्रिम तथा अन्य राशियाँ जो नकद या वस्तुओं के रूप में अथवा प्राप्य मूल्य के रूप में वसूली योग्य हो:	-	-	-	-
क) पूंजी लेखा पर	-	-	-	-
ख) आपूर्तिकर्ता (सप्लायर) को (परिशिष्ट-6 के अनुसार)	-	21.54	-	20.73
ग) अन्य (परिशिष्ट-7 के अनुसार)	-	22.61	-	16.89
	-	-	-	-
4. पूर्व दत्त व्यय (परिशिष्ट-8 के अनुसार)	-	59.42	-	44.61
5. जमा	-	369.90	-	16,691.61
असिस्टेंट इंजि. (ग्रामीण) एवीवीएनएल	362.00	-	362.00	-
बीएसएनएल अजमेर			59.59	
जमा सीपीडब्लूडी अजमेर			16,166.87	
जमा सीपीडब्लूडी जयपुर हॉर्टिकल्चर			91.95	
असिस्टेंट इंजि. (ग्रामीण) एवीवीएनएल	6.51	-	6.51	-
सिक्वोरिटी जमा (जमानत जमा), एवीवीएनएल किशनगढ़	0.32	-	0.32	-
सिक्वोरिटी डिपोजिट बीएसएनएल	0.51	-	0.41	-
सिक्वोरिटी डिपोजिट किशनगढ़ गैस सर्विस	0.03	-	-	-
सिक्वोरिटी डिपोजिट होमगार्ड	-	-	2.58	-
कृष्णा एचपी गैस सर्विस, आराई	-	-	0.88	-
पीएचईडी किशनगढ़ (ग्रामीण)	-	-	0.07	-
ईई पीएचईडी किशनगढ़	0.07	-	-	-
प्राप्तीयोग्य स्रोत पर आयकर (टी.डी.एस.)	0.46	-	0.44	-
6. उपाजित आय:	-	99.46	-	73.91
क) निर्दिष्ट/स्थायी (एंडोमेंट) कोष से किये निवशों पर	-	-	-	-
ख) निवेश पर- अन्य	-	-	-	-
ग) ऋणों तथा अग्रिमों पर	-	-	-	-
घ) अन्य (देय लेकिन वसूल न हो सकी आय सहित रु.....)	99.46	-	-	-
बैंक ब्याज				
7. अन्य प्राप्य	-	-	-	-
क) प्रायोजित परियोजनाओं में नामे शेष (डेबिट शेष)	-	-	-	2.75
8. प्राप्त होने वाले दावे				
योग		575.29		16,850.50



आय एवं व्यय खाते की अनुसूचियाँ



31 मार्च, 2014 को समाप्त अवधि/वर्ष हेतु आय एवं व्यय खाते की अनुसूचियाँ

अनुसूची-11 शैक्षणिक प्राप्तियाँ

(रु. लाखों में)

	2013-14	2012-13
विद्यार्थियों से प्राप्त शुल्क		
शैक्षणिक		
1. शिक्षा शुल्क	22.95	45.95
2. प्रवेश शुल्क	2.50	-
3. नामांकन शुल्क	-	-
4. पुस्तकालय प्रवेश शुल्क	3.89	-
5. प्रयोगशाला शुल्क	13.45	-
6. कला (आर्ट) और क्राफ्ट	-	-
7. पंजीकरण शुल्क	0.75	2.21
8. पाठ्यक्रम शुल्क	-	-
9. प्रायोजित शुल्क	-	-
10. पुनःप्रवेश शुल्क	0.04	-
11. अन्य	-	-
योग (क)	43.58	48.16
परीक्षा		
1. प्रवेश परीक्षा शुल्क	-	-
2. वार्षिक परीक्षा शुल्क	2.95	-
3. मार्क शीट, प्रमाण पत्र शुल्क	2.33	-
योग (ख)	5.28	-
अन्य शुल्क		
1. पहचान पत्र शुल्क	-	-
2. जुर्माना/विविध शुल्क	-	-
इंटरनेट प्रभार	3.52	-
विलम्ब शुल्क	0.15	-
माईग्रेशन शुल्क	0.36	-
अन्य शुल्क	6.60	-
खेलकूद शुल्क	2.43	-
3. चिकित्सा शुल्क	2.40	-
4. परिवहन शुल्क	-	-
5. छात्रावास शुल्क	38.37	20.79
योग (ग)	53.83	20.79
प्रकाशन की बिक्री		
1. सिलेबस और प्रश्न पत्र, आदि की बिक्री	-	-
2. प्रवेश फॉर्म सहित प्रोस्पेक्टस की बिक्री	-	-
योग (घ)	-	-
कुल योग (क+ख+ग +घ)	102.69	68.95



31 मार्च, 2014 को समाप्त अवधि/वर्ष हेतु आय एवं व्यय खाते की अनुसूचियाँ

अनुसूची-12 अनुदान और परिदान

(रु. लाखों में)

	2013-14	2012-13
1) केन्द्र सरकार (जहां तक उपयोग किया गया)	1,805.01	1,444.13
2) राज्य सरकारों	-	-
3) सरकारी एजेंसियाँ	-	-
4) संस्थान/कल्याणकारी इकाइयाँ	-	-
5) अन्तर्राष्ट्रीय संगठन	-	-
6) अन्य (स्पष्ट करें)	-	-
योग	1,805.01	1,444.13

अनुसूची-13 निवेशों से आय

(रु. लाखों में)

चिन्हित/स्थायी (एंडोमेंट) निधियों से निवेश	2013-14		2012-13	
1) ब्याज	-	-	-	-
क) सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
ख) अन्य बॉण्ड्स/ऋण पत्र	-	-	-	-
2) प्राप्त आय	-	-	-	-
क) प्रत्येक कोष अलग-अलग	-	-	-	-
3) उपार्जित आय	-	-	-	-
क) प्रत्येक कोष अलग-अलग	-	-	-	-
4) अन्य (स्पष्ट करें)	-	-	-	-
योग	-	-	-	-
चिन्हित/स्थायी (एंडोमेंट) निधियों को अन्तरित	-	-	-	-

चिन्हित/स्थायी (एंडोमेंट) निधियों से निवेश	2013-14		2012-13	
1) ब्याज	-	-	-	-
क) सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
ख) अन्य बॉण्ड्स/ऋण पत्र	-	-	-	-
2) प्राप्त आय	-	-	-	-
क) प्रत्येक कोष अलग-अलग	-	-	-	-
3) उपार्जित आय	-	-	-	-
क) प्रत्येक कोष अलग-अलग	-	-	-	-
4) अन्य (स्पष्ट करें)	-	-	-	-
योग	-	-	-	-



31 मार्च, 2014 को समाप्त अवधि/वर्ष हेतु आय एवं व्यय खाते की अनुसूचियाँ

अनुसूची -14 अन्य आय

(रु. लाखों में)

	2013-14	2012-13
क) भूमि एवं भवन से होने वाली आय		
1. छात्रावास कमरा किराया	-	-
2. लाइसेंस शुल्क	-	-
3. भवन का किराया प्रभार	2.76	-
4. बिजली तथा पानी प्रभार	-	-
योग	2.76	-
ख) संस्थान के प्रकाशनों की बिक्री	-	-
ग) कार्यक्रमों के आयोजन से आय	-	-
1. वार्षिक समारोह/खेल महोत्सव से सकल प्राप्ति	-	-
घटाएँ: वार्षिक समारोह/खेल महोत्सव पर भारित प्रत्यक्ष व्यय	-	-
2. उत्सवों से सकल प्राप्ति	-	-
घटाएँ: उत्सवों पर भारित प्रत्यक्ष व्यय	-	-
3. शैक्षिक पर्यटनों के लिए कुल प्राप्ति	-	-
घटाएँ: पर्यटन पर भारित प्रत्यक्ष व्यय	-	-
4. अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाए और पृथक रूप से प्रकट किया जाए)	-	-
योग	-	-
ग) सावधि जमाराशियों पर ब्याज:		
क) अनुसूचित बैंकों से	274.40	230.90
ख) गैर अनुसूचित बैंकों से	-	-
ग) संस्थानों से	-	-
घ) अन्य	0.40	-
योग	274.80	230.90
घ) बचत खातों पर ब्याज:		
क) अनुसूचित बैंकों से	0.12	-
ख) गैर अनुसूचित बैंकों से	-	-
ग) संस्थानों से	-	-
घ) अन्य	-	-
योग	0.12	-
ङ) ऋणों पर ब्याज:		
क) कर्मचारी/स्टाफ	-	-
ख) अन्य	-	-
योग	-	-
च) देनदार और अन्य प्राप्त्य पर ब्याज		
छ) अन्य	-	-
1. परामर्श से आय	-	-
2. आरटीआई शुल्क	0.01	-
3. सॉयल्टी से आय	-	-
4. आवेदन फार्म की बिक्री (भर्ती)	0.65	-
5. विविध प्राप्तियाँ (निविदा फार्म, बेकार कागज, आदि की बिक्री)	3.44	-
6. विविध प्राप्तियाँ		23.68
पुस्तकालय द्वारा जुर्मनि का संग्रह	0.05	
विलम्ब सुपुर्दगी शास्ति	0.08	
लिविडेटेड डेमेरेज पेनल्टी (शास्ति) रिकवर्ड	0.32	
विविध प्राप्तियाँ	0.13	
विभागीय आकस्मिक निधि की प्राप्ति - यूजीसी जेआरएफ	0.24	
गेस्टहाउस व्ययों की प्राप्ति	0.00	
अल्प सूचना अवधि के एवज में अधिप्राप्ति (वेतन)	0.10	
परिवहन कूपनों की बिक्री	3.07	
7. परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ:		-
क) स्वामित्व वाली संपत्तियाँ	0.03	0.07
	-	
योग	8.13	23.75
कुल योग (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ+ज)	285.81	254.65



31 मार्च, 2014 को समाप्त अवधि/वर्ष हेतु आय एवं व्यय खाते की अनुसूचियाँ

अनुसूची-15 कर्मचारी भुगतान एवं लाभ

(रु. लाखों में)

	2013-14	2012-13
क) टीचिंग स्टाफ (शैक्षिक कर्मचारी वर्ग)	838.17	495.91
1) वेतन एवं मजदूरी	391.36	261.81
2) भत्ते एवं बोनस	446.81	234.10
ख) नॉन-टीचिंग स्टाफ (अशैक्षिक कर्मचारी वर्ग)	187.39	187.16
1) वेतन एवं मजदूरी	87.61	96.90
2) भत्ते एवं बोनस	98.61	90.12
3) स्टाफ बोनस	1.17	0.14
ग) तदर्थ कर्मचारी (एडॉक स्टाफ)	61.24	49.47
घ) पेंशन कोष के लिए अंशदान	3.32	-
ङ) एनपीएस के लिए अंशदान	61.71	29.05
च) स्टाफ कल्याण व्यय	0.12	-
छ) सेवानिवृत्ति तथा सेवा समाप्ति लाभ	40.05	20.45
ज) एलटीसी सुविधा	5.14	1.72
झ) मेडिकल सुविधा	2.27	2.95
ञ) बाल शिक्षा भत्ता	9.38	5.38
ट) मानदेय	0.01	-
ठ) अंतरित अनुदान तथा पैकिंग भत्ते	-	-
TOTAL	1,208.80	792.09



31 मार्च, 2014 को समाप्त अवधि/वर्ष हेतु आय एवं व्यय खाते की अनुसूचियाँ

अनुसूची-16 शैक्षणिक व्यय

(रु. लाखों में)

	2013-14	2012-13
क) प्रयोगशाला व्यय	55.87	23.94
ख) क्षेत्र कार्य/सहभागिता	-	-
ग) संगोष्ठी/कार्यशाला	28.59	11.86
घ) अतिथि संकाय के लिए भुगतान	11.74	10.97
ङ) परीक्षा	3.59	-
च) छात्र कल्याण व्यय	8.02	0.35
छ) प्रवेश व्यय	1.45	29.73
ज) दीक्षांत समारोह व्यय	32.40	23.19
झ) प्रकाशन	-	-
ञ) वजीफा/साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति	-	-
ट) अंशदान व्यय	0.49	-
ठ) खेलकूद गतिविधियाँ व्यय	-	1.69
ड) विविध छात्रावास व्यय	-	0.95
ढ) स्थापन प्रकोष्ठ व्यय	-	-
ण) नॉन नैट एमफिल/पीएचडी योजना के लिए फेलोशिप	37.30	-
त) अनुसंधान गतिविधियाँ	14.11	-
थ) विविध व्यय		
भ्रमण/शिक्षा दौरा	0.04	-
संकाय सुधार कार्यक्रम	0.99	-
क्षेत्र कार्य भागीदारी	0.13	-
विविध व्यय	1.56	3.11
TOTAL	196.29	105.79



31 मार्च, 2014 को समाप्त अवधि/वर्ष हेतु आय एवं व्यय खाते की अनुसूचियाँ

अनुसूची-17 प्रशासनिक और सामान्य व्यय

(रु. लाखों में)

	2013-14	2012-13
क) बिजली तथा ऊर्जा	84.91	56.36
ख) जल प्रभार	3.00	0.60
ग) बीमा	0.20	0.75
घ) किराया, किराया, दर एवं कर (टैक्स) (संपत्ति कर सहित)	1.55	0.76
ङ) डाक और तार	1.32	-
च) टेलीफोन और इंटरनेट प्रभार (डाक और तार सहित)	14.61	12.95
छ) प्रिंटिंग व स्टेशनरी	11.47	13.77
ज) यात्रा व परिवहन व्यय	4.59	19.01
झ) सेमिनार/वर्कशॉप व्यय	-	-
ञ) अतिथि-सत्कार	1.53	2.29
ट) लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक	3.86	-
ठ) व्यावसायिक प्रभार	0.23	2.21
ड) विज्ञापन और प्रचार	16.70	36.69
ढ) समाचार पत्र, नियतकालिक पत्रिका, पत्रिका (मैगजीन) पत्रिकाएं (जर्नल्स) और ई-जर्नल्स	61.52	34.12
ण) कार्यालय व्यय	-	3.28
त) सुरक्षा खर्च	67.53	35.36
थ) शिक्षा शुल्क एवं बाल शिक्षा भत्ता	-	-
द) कैरियर और काउंसिलिंग सेल	6.56	-
ध) प्रेषण और अग्रेषण व्यय	-	0.11
न) विधि व्यय	2.72	4.25
प) चिकित्सा व्यय	1.70	1.36
फ) मीटिंग व्यय	16.86	11.50
ब) डे केयर सेंटर	0.09	-
भ) भर्ती व्यय	24.77	37.65
म) विविध व्यय	2.90	8.28
योग	328.60	281.30

अनुसूची-18 परिवहन प्रभार

(रु. लाखों में)

	2013-14	2012-13
1. वाहन (शैक्षिक संस्थान का स्वामित्व)		
क) चालू व्यय	6.20	10.03
ख) मरम्मत एवं रखरखाव	1.68	-
ग) बीमा व्यय	0.80	-
2. वाहन किराए/लीज पर लेना	-	-
क) किराया/लीज व्यय	3.19	-
योग	11.87	10.03



31 मार्च, 2014 को समाप्त अवधि/वर्ष हेतु आय एवं व्यय खाते की अनुसूचियाँ

अनुसूची-19 मरम्मत एवं रखरखाव

(रु. लाखों में)

	2013-14	2012-13
क) भवन	1.68	7.44
ख) फर्नीचर एवं फिक्चर	0.03	-
ग) संयंत्र एवं मशीनरी	1.06	-
घ) कार्यालय उपकरण	0.22	-
ङ) सफाई सामग्री और सेवाएं	38.72	-
च) अन्य (स्पष्ट करें) (परिशिष्ट के अनुसार)	-	-
बागवानी व्यय	9.67	8.32
कंप्यूटर का रखरखाव	3.80	0.61
लैब उपकरणों का रखरखाव	0.58	
अन्य (रखरखाव)	3.52	0.48
योग	59.28	16.85

अनुसूची-20 वित्त लागत

(रु. लाखों में)

	2013-14	2012-13
क) सावधि ऋणों पर ब्याज	-	-
ख) अन्य ऋणों पर	-	-
ग) बैंक प्रभार	0.17	0.81
घ) अन्य (स्पष्ट करें)	-	-
योग	0.17	0.81

अनुसूची-21 अन्य व्यय

(रु. लाखों में)

	2013-14	2012-13
क) अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों हेतु प्रावधान	-	-
ख) वापस नहीं पाने योग्य जमाएं निरस्त	-	-
ग) अन्य (स्पष्ट करें)	-	-
योग	-	-



तुलन पत्र और आय एवं व्यय खाते के परिशिष्ट



परिशिष्ट-1

(रु. लाखों में)

छात्रों की जमाएं

	2013-14	2012-13
मैस अग्रिम	22.04	2.77
छात्रों और पीएचडी छात्रों की जमाएं	14.76	8.14
योग	36.63	10.91

परिशिष्ट-2

(रु. लाखों में)

वस्तुओं और सेवाओं के लिए विविध लेनदार

	2013-14	2012-13
वस्तुओं के लिये विविध लेनदार	0.70	-
मै. इंद्रा एंड कंपनी.	0.11	-
मै. ट्रेक कार्गो प्रा. लि.	0.13	-
द साइंस पैलेस	0.46	-
देय बिल		
(एडवोकेट) राजदीपक रस्तोगी	-	0.14
एजिलेन्ट टेक्नोलॉजी इण्डिया प्रा. लि. मुंबई	-	2.30
अनिल ट्रेवल्स	-	0.10
अनीता शर्मा	-	0.01
सीयूराज मैस सं.1	-	0.45
काला एन्टरप्राइजेज	-	0.77
कन्हैया त्रिपाठी	-	0.00
लीका माइक्रोसिस्टमे वेरट्रिएब जीएमबीएच, जर्मनी	-	26.67
लिबसिस कॉरपोरेशन	-	0.10
मीता शर्मा	-	0.01
नन्द किशोर	-	0.01
नीरोस, अजमेर	-	0.65
एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लि.	-	0.03
पिकी पारीक	-	0.00
प्रमोद मीना	-	0.04
प्रिया शर्मा	-	0.01
राजवीर होटल एण्ड रिसोर्ट्स प्रा.लि.	-	0.05
रॉयल अमर होटल	-	0.03
रॉयल हेरिटेज होटल, किशनगढ़	-	0.04
एस. एन. अम्बेडकर	-	0.29
सुजाता एन्टरप्राइजेज, जयपुर	-	0.45
स्वाद री ढाणी, प्रा.लि.	-	0.10
सिस्टम्स एण्ड सर्विसेज	-	0.80
थर्मोकॉन इंस्ट्रुमेंट्स (प्रा) लि., बंगलौर	-	0.40
थर्मो फिशर साइंटिफिक ओवाई फिनलैण्ड	-	5.56
केन्द्रीय भण्डार	-	5.83
मेट्रो टेडिंग कॉरपोरेशन	-	0.55
मै. प्रोमार्क टेकसॉल्यूशन्स (प्रा) लि. पंजाब	-	0.28
मै. रिशिका मार्केटिंग	-	8.08

क्रमशः...



क्रमशः...

मै. यूएमसी ग्रीन टेक्नोलोजीस (इंडिया) प्रा.लि.	-	2.72
एनआईआईटी जीआईएस लिमिटेड	-	4.86
द साइन्स पैलेस	-	0.46
मै. श्रोडिंजर एलएलसी	-	21.30
सेवा प्रदाता के लिए विविध लेनदार	0.19	-
मै. एक्सिस कम्प्यूटर्स	0.15	-
सुनील मेहनोत (बीमा एजेंट)	0.03	-
योग	0.89	83.12

परिशिष्ट-3

(रु. लाखों में)

सांविधिक देयताएं अन्य

	2013-14	2012-13
सीजीआईएस में कर्मचारी योगदान	0.00	-
सीजीएचएस में कर्मचारी योगदान	0.00	-
जीपीएफ में कर्मचारी योगदान	0.24	0.04
पीएफ में कर्मचारी योगदान	0.06	-
जीआईएस में कर्मचारी योगदान	0.01	0.13
एनपीएस योगदान- गैर-शिक्षण (नॉन टीचिंग) (विश्वविद्यालय शेयर)	3.87	-
एनपीएस योगदान - शिक्षण (टीचिंग) (विश्वविद्यालय शेयर)	12.72	30.35
एनपीएस योगदान (विश्वविद्यालय शेयर)	4.80	-
एनपीसी कटौती (कर्मचारी शेयर)	4.80	-
एनपीसी कटौती - गैर-शिक्षण (कर्मचारी शेयर)	3.87	-
एनपीसी कटौती - शिक्षण (कर्मचारी शेयर)	12.72	29.97
स्रोत पर काटे गये कर (टीडीएस)	1.49	-
वेतन पर टीडीएस उपकर	0.24	-
वेतन पर टीडीएस	8.10	-
बचत खाता सं. 61126420190 एनपीएस पर बैंक ब्याज	0.02	-
सावधि जमा खाता सं. 61126420190 एनपीएस पर बैंक ब्याज	3.62	-
जीपीएफ ऋण	-	0.30
एच.बी. ऋण	-	0.04
रेमिटेंस हेतु एनपीएस	-	1.14
स्रोत पर काटे गये कर	-	7.36
सीपीएफ देयता	4.34	9.34
ग्रेच्युटी देयता	3.03	3.03
योग	63.94	81.70



परिशिष्ट-4

(रु. लाखों में)

अन्य वर्तमान देयताएँ

	2013-14	2012-13
(क) वेतन देयताएं खाता	89.80	-
देय संविदा कर्मचारी (स्टाफ) वेतन (लघु अवधि के अनुबंध)	6.69	-
डीए एरियर देय	0.02	-
डीए एरियर – शिक्षण (टीचिंग) देय	0.04	-
गैर-शिक्षण कर्मचारी वेतन देय	14.03	-
वेतन देय	0.38	-
शिक्षण कर्मचारी वेतन देय	68.63	-
ख) प्रायोजित परियोजना के एवज में प्राप्तियां	80.99	27.96
डीएसटी प्रेरित संकाय पुरस्कार – डॉ. रफीक रज्जाक शेख	8.14	-
एन्हांसिंग स्कोलर/फैकल्टी रिसोर्सस ईएनसीओआरई (एन्कोर)	14.26	14.26
ग्रांट – फैकल्टी रिचार्ज प्रोग. – डॉ- सुरेन्द्र – वेतन	1.40	-
परियोजना 'बाएसियन एनालिसिस' डॉ.- जितेंद्र कुमार	0.33	-
परियोजना 'बाएसियन- मॉडल (यूजीसी) डॉ.- जितेंद्र कुमार सांख्यिकी	(0.31)	-
परियोजना 'काम्प्लेक्स डायनामिक्स..... फंक्शन्स' ए. पी. सिंह	0.83	-
परियोजना- 'सिंक्रोनाइजेशन..... कोन्निटिव'-डॉ. मनीष	6.71	-
शोध परियोजना-डॉ. डी. सी. शर्मा – सॉलिड वेस्ट	4.68	-
शोध परियोजना – एक्सप्लर- बॉयोमोलेक्युल्स – प्रदीप वर्मा	9.48	-
शोध परियोजना – डॉ. मनीष श्रीमाली – स्पेक्ट्रल एनर्जी	10.87	-
शोध परियोजना – डॉ. सुरेन्द्र निर्मल – नैनो टेक्नोलॉजी (प्रौद्योगिकी)	10.86	-
प्रायोजित परियोजना – डॉ. तरुन भट्ट – मॉलिक्यूलर (आणविक) मॉडल	7.94	-
प्रायोजित परियोजना – जय कांत यादव –एएमवाईएल कॉन. के एसोसिएट	5.80	-
एकीकृत योजना तहत	-	13.70
ग) प्रायोजित अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति के एवज में प्राप्तियां	(2.02)	10.12
एमई/एम.टेक छात्रों हेतु पीजी छात्रवृत्तियाँ सहायता अनुदान	(4.87)	-
नॉन नैट एमफिल/पीएचडी के लिए अध्येतावृत्ति योजना	-	3.12
प्रायोजित योजना प्रो. ए. पी. सिंह, एटीएम एनालिसिस	-	7.00
यूजीसी छात्रवृत्ति – जेआरएफ	2.86	-
घ) अन्य कोष के एवज में देयता	4.51	-
देय वेतन – डीएसटी प्रेरित संकाय पुरस्कार	0.12	-
प्रायोजन/परियोजनाओं के अंतर्गत देय वेतन	2.04	-
शिक्षण कर्मचारी वेतन (शिक्षा) देय	1.87	-
रिचर्स फेलो (कर योग्य) को देय	0.36	-
डॉ. तरुन भट्ट-मॉलिक्यूलर-परियोजना के लिए देय	0.12	-

क्रमशः...



क्रमशः...

ड) निधिकरण अभिकरण (फंडिंग एजेंसी)	2.32	7.29
सीएसआईआर	(0.30)	-
परमाणु ऊर्जा विभाग	(2.00)	-
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	(0.00)	-
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डीएसटी)	(8.41)	-
राजस्थान सरकार	0.12	-
शोध परियोजना सहायता प्राप्य (2013-14)	9.77	-
शोध परियोजना सहायता प्राप्य (2014-15)	4.20	-
शोध परियोजना सहायता प्राप्य (2015-16)	4.20	-
शोध परियोजना सहायता प्राप्य (तीन वर्ष)	20.29	-
शोध परियोजना सहायता प्राप्य (दो वर्ष)	3.64	-
शोध परियोजना-डॉ. डी. सी. शर्मा सॉल्लिड वेस्ट	-	7.29
एसईआरबी - विज्ञान और अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड	(18.79)	-
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग - अनुदान सहायता	(10.41)	-
(च) संगोष्ठी/सम्मेलन के एवज में प्राप्तियां	1.08	3.32
एआईयू- विश्वविद्यालय प्रशासन प्रबंधन पर राष्ट्रीय कार्यशाला	(0.14)	-
सामुदायिक संसाधन एवं गठबंधन बैठक (कम्युनिटी रिसोर्सेस एंड एलायन्स मीटिंग)	1.22	1.22
सांख्यिकी विभाग द्वारा राष्ट्रीय सम्मेलन	0.02	-
कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पर राष्ट्रीय सम्मेलन	0.01	2.10
राष्ट्रीय कार्यशाला - हिन्दी विभाग	(0.02)	-
(छ) सामान्य विकास योजना अनुदान (जनरल डवलपमेंट प्लान ग्रांट)	2,708.31	16,144.93
गैर आवर्ती अनुदान	783.01	15,351.82
आवर्ती अनुदान	1,925.30	793.11
(ज) अन्य देय	153.62	94.57
विभागीय कोष देय खाता	0.33	-
विभागीय निधि	0.33	-
प्रतिधारण खाता	5.47	-
अगिलेंट टेक्नोलॉजीज इंडिया प्रा. लि. मुंबई? प्रतिधारण खाता	2.30	-
बिट्स एंड बाइट्स	0.24	-
ध्रुवी एडवरटाइजर्स	0.75	-
लिबसिस कारपोरेशन - प्रतिधारण खाता	0.10	-
मेट्रो ट्रेडिंग कारपोरेशन - प्रतिधारण खाता	0.55	-
यूएमसी ग्रीन टेक्नोलॉजी (इंडिया) प्रा. लि. (प्रतिधारण)	1.19	-
यूनीलाइन एनर्जी सिस्टम्स प्रा. लि. (प्रतिधारण)	0.35	-
छात्रों को प्राप्त ऋण खाता	-	-
छात्रों को परावर्तनीय रकम	0.05	0.05
प्राप्त ईएमडी खाता	58.17	50.39
अधिक/कम जमा शुल्क	0.01	-
गैर-आवर्ती व्यय में बकाया देयताएं	6.38	-
आवर्ती (रिकरिंग) में बकाया देयताएं	66.41	17.01
नॉन जेआरएफ छात्रों को देय अध्येतावृत्ति	4.56	-

क्रमशः...



क्रमशः...

अतिथि संकाय को मानदेय देय	0.06	-
कर्मचारी को प्रतिपूर्ति देय	0.29	-
वजीफा/साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति देय	2.55	-
परफॉरमेंस सिक्योरिटी	7.62	7.18
सिक्योरिटी जमा - वारंटी रखरखाव	1.32	1.32
जारी चेकों की अदावी राशि	0.41	-
रंजन राज	-	0.17
सोसायटी फॉर इनोव. डेव. एण्ड इन्टर. सप्प. (स्टाईड)	-	18.08
सीयूसीईटी 2013 में रिकवरी योग्य रकम	-	0.37
योग	3,038.62	16,288.19

कर्मचारियों के लिए अग्रिम (ब्याज रहित)

परिशिष्ट-5
(रु. लाखों में)

	2013-14	2012-13
स्टाफ को अग्रिम - सीयूसीईटी 2013	0.04	-
कार्यालय व्यय के लिए स्टाफ को अग्रिम	2.00	-
अग्रदाय लेखा - सीओई कार्यालय	0.02	-
एलटीसी अग्रिम - डॉ. अमित चक्रवर्ती	0.31	-
स्थायी अग्रिम	0.00	-
योग	2.37	-

नकद या वस्तु के रूप में या मूल्य एवज में प्राप्य पूँजी अग्रिम

परिशिष्ट-6
(रु. लाखों में)

	2013-14	2012-13
पूँजी अग्रिम (स्थायी परिसंपत्ति का हिस्सा)	-	-
बेल जापान इंक	14.88	-
बुकेर बॉयोस्पिन इंटरनेशनल एजी	479.20	-
बुची इंडिया लैबोरेटिक्स एजी	43.27	-
कैस्टल मैक स्पा	2.40	-
सैम कॉरपोरेशन	14.99	-
कैथले टेक्ट्रॉनिक्स एशिया लिमिटेड	3.33	-
लैबकोनको कॉरपोरेशन	0.14	-
मेट्रोहम् ऑटोलैब बी वी	26.79	-
शिमद्जु (एशिया पैसिफिक) पीईटी लिमिटेड	28.00	-
थर्मो फिशर साइंटिफिक	45.48	-
सीपीडब्लूडी अजमेर	1,586.46	-
सीपीडब्लूडी हॉर्टिकल्चर जयपुर	73.51	-
बीएसएनएल अजमेर	49.78	-
योग	2,368.24	-



परिशिष्ट-6क

(रु. लाखों में)

आपूर्तिकर्ता (सप्लायर) एवं अन्य को अग्रिम		
अग्रिम	19.52	12.22
अग्रिम सीएचए	0.64	-
अग्रिम पार्टी	1.03	1.79
कृष्णा एच पी गैस सर्विस	0.14	-
मै. हरीश चंदर खन्ना एंड कंपनी	0.10	-
टेककॉम्प	-	6.72
महाप्रबंधक, भारत सरकार टकसाल, हैदराबाद	0.11	-
योग	21.54	20.73

परिशिष्ट-7

(रु. लाखों में)

नकद या वस्तु के रूप में या मूल्य एवज में प्राप्य अग्रिम और अन्य राशि

	2013-14	2012-13
अन्य अग्रिम		
सीयूसीईटी 2013 में रिकवरी योग्य रकम	1.64	-
सीयूसीईटी 2014 में रिकवरी योग्य रकम	0.08	-
सीयूसीईटी 2013 (देनदार)	15.00	15.00
डेल इंडिया प्रा. लिमिटेड	0.07	-
महाप्रबंधक दूरसंचार	1.47	-
इंडियन रेप्रोग्राफिक राइट्स ऑर्गनाइजेशन	0.19	-
पोस्ट मास्टर किशनगढ़	0.50	0.50
छात्र संघ (एलुमनी एसोसिएशन)	0.02	-
डॉ. के. एम. हिरोनी	0.08	-
सरकारी पीजी कॉलेज	0.24	0.24
सोसायटी फॉर इनोव. डेव. एण्ड इन्टर. सप्प. (स्टाईड)	0.20	-
स्टाफ वसूलियां	0.00	-
कार्यशील महिला छात्रावास	0.39	0.39
सप्लाय सेवाओं के विविध देनदार	0.00	-
ग्रंथालय विज्ञान	0.00	-
बैंक ऑफ इंडिया	0.17	0.64
त्यौहार अग्रिम	-	0.04
सेंट्रल न्यूज एजेंसी नई दिल्ली	-	0.08
ठेकेदारों से प्राप्य बिजली प्रभार	2.55	-
	22.61	16.89



परिशिष्ट-8

(रु. लाखों में)

पूर्व भुगतान व्यय

	2013-14	2012-13
पूर्व भुगतान – विज्ञापन और प्रचार व्यय (14-15)	0.78	-
पूर्व भुगतान व्यय – कंप्यूटर का रखरखाव (2014-15)	3.56	-
पूर्व भुगतान व्यय – कंप्यूटर का रखरखाव (2015-16)	2.32	-
पूर्व भुगतान व्यय – कंप्यूटर का रखरखाव (2016-17)	0.68	-
पूर्व भुगतान व्यय – वाहन बीमा (2015-16)	0.10	-
पूर्व भुगतान . समाचार पत्र, नियतकालिक पत्रिका (पेरिओडिकल), पत्रिका (मैगजीन) और पत्रिकाएं (जर्नल्स) 14-15	51.06	-
पूर्व भुगतान . समाचार पत्र, नियतकालिक पत्रिका (पेरिओडिकल), पत्रिका (मैगजीन) और पत्रिकाएं (जर्नल्स) 15- 16	0.01	-
पूर्व भुगतान – आर एंड एम कार्यालय उपकरण (2014-15)	0.07	-
पूर्व भुगतान - आर एंड एम संयंत्र और मशीनरी व्यय (2014-15)	0.37	-
पूर्व भुगतान – वाहन बीमा व्यय 2014-15	0.47	-
कंप्यूटर लैब व्यय पूर्व भुगतान	-	0.25
फूड वेस्ट मैनेजमेंट व्यय पूर्व भुगतान	-	0.13
बीमा पूर्व भुगतान	-	0.65
सदस्यता व्यय पूर्व भुगतान	-	43.58
योग	59.42	44.61



खातों की अनुसूचियाँ



31 मार्च, 2014 को समाप्त अवधि के खातों की अनुसूचियाँ

अनुसूची 22 – महत्वपूर्ण लेखा नीतिया

1. **अकाउंट की तैयारी के लिए आधार**
वित्तीय विवरणियाँ ऐतिहासिक लागत प्रथाओं (अन्यथा उल्लिखित नहीं है तो) तथा लेखाकरण की उपचति पद्धति के आधार पर तैयार की गई हैं।
2. **इनवेंट्री वैल्युएशन**
रसायनों, दस्तानों, स्टेशनरी और अन्य वस्तुओं की खरीद पर किए गए व्यय को राजस्व व्यय माना गया है।
3. **निवेश**
 - 3.1 'दीर्घ अवधि निवेशों' के रूप में वर्गीकृत निवेश लागत पर लिये गये हैं। अस्थायी कमियों के अलावा अन्य कमियों के लिये ऐसे निवेशों की ली गई लागत में प्रावधान किया गया है।
 - 3.2 'वर्तमान' निवेश के रूप में वर्गीकृत निवेश, कमतर तथा समुचित मूल्य पर लिये गये हैं। ऐसे निवेशों के मूल्य में कमी के लिये प्रावधान किये गये हैं तथा ऐसा करते हुए प्रत्येक निवेश पर व्यक्तिगत ध्यान दिया गया है, न कि इसे सामूहिक आधार पर तय किया गया है।
 - 3.3 लागत में अधिग्रहण व्यय यथा दलाली, अन्तरण स्टाम्पस आदि शामिल हैं।
4. **स्थायी परिसम्पतियाँ**
 - 4.1 स्थायी परिसम्पतियों का प्रारम्भ आवक माल भाड़ा, शुल्कों तथा करों, अधिग्रहण संबंधी प्रत्यक्ष एवं प्रासंगिक व्ययों सहित अधिग्रहण लागत पर किया गया है।
 - 4.2 गैर-वित्तीय अनुदान के जरिए प्राप्त स्थायी परिसंपत्तियां, (कैपिटल फंड के अतिरिक्त) क्रेडिट टू कैपिटल रिजर्व के अनुरूप ज्ञात मूल्यों पर कैपिटलाइज्ड (पूँजीकृत) किया गया। संबद्ध परिसंपत्तियों पर लागू दर पर अवमूल्यन जोड़ा गया है।
 - 4.3 **लीज होल्ड लैंड:** राजस्थान सरकार ने 02.07.2010 को दिनांकित अपने पत्र संख्या 5805 के द्वारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान को 1296.07 बीघा (209.83 हेक्टेयर यानी लगभग 518.428 एकड़) जमीन का आवंटन निःशुल्क किया और यह आवंटन दिनांक 09.03.2010 से अगले 99 साल के लिए प्रभावी है। इसे ही लीज होल्ड लैंड के तहत 1 रु. की दर पर दिखाया गया है और ग्रुप हेड जनरल फंड के तहत तदनुसूची क्रेडिट रिजर्व और सरप्लस को दिया गया है।
 - 4.4 **पूँजी कार्य प्रगति पर:** विभिन्न कार्यों/परिसंपत्तियों की अधिप्राप्ति जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक कैपिटलाइज्ड (पूँजीकृत) न हो, के एवज में दिए गए जमाओं और अग्रिमों को कैपिटल वर्क इन प्रॉग्रेस (पूँजी कार्य प्रगति पर) के रूप में माना गया।
5. **अवमूल्यन**
स्थायी परिसंपत्तियों का आकलन लागत पर संचित अवमूल्यन घटाकर किया गया। स्थायी परिसंपत्तियों पर अवमूल्यन डब्ल्यूडीवी विधि से निम्नलिखित दर पर किया गया है:

क्र.सं.	सम्पत्तियों का नाम	अवमूल्यन दर
1	भवन, सड़क, तालाब, ट्यूबवैल व जल आपूर्ति	5%
2	उपकरण और संयंत्र और मशीनरी	10%
3	फर्नीचर और फिक्चर (मरम्मती)	10%
4	कंप्यूटर	30%
5	सॉफ्टवेयर	100%
6	प्रयोगशाला की सुविधा	10%
7	अस्थायी संरचना / भवन	100%
8	प्लान्टेशन और साइट विकासभूमि	और भूमि विकास से साथ सम्मिलित और इन परिसंपत्तियों पर कोई अवमूल्यन नहीं जोड़ा गया
9	वाहन	15%
10	पुस्तकालय पुस्तकें (पुस्तकों की खरीद की लागत और तारीख से निरपेक्ष)	20%



31 मार्च, 2014 को समाप्त अवधि के खातों की अनुसूचियाँ

- (i) यदि परिसंपत्तियों की अधिप्राप्ति 30 सितंबर तक हो जाए तो अवमूल्यन को पूरे साल के लिए जोड़ा जाएगा, अन्यथा यह क्रम क्रम संख्या 1 से 9 तक के लिए उपरोक्त दर का 50 प्रतिशत होगा।
- (ii) 5000 रु. से कम या उसके बराबर की लागत वाली एकल परिसंपत्तियों (पुस्तकालय की किताबों को छोड़कर) पर अवमूल्यन 100 प्रतिशत की दर से जोड़ा जाएगा और प्रति परिसंपत्ति मूलतः 1रु. माना जाएगा।

6. विविध व्यय

व्यय किये जाने के वर्ष से लेकर पाँच वर्षों तक की अवधि के आस्थगित राजस्व व्यय को बट्टे खाते में डाला गया है।

7. राजस्व पहचान हेतु लेखाकरण

समस्त अकादमिक प्राप्तियों का लेखा यथा छात्र शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि नकदी आधार पर लेखाकृत किये गये हैं तथा अन्य लेखा लेन-देन उपचित आधार पर किये गये हैं।

8. सरकारी अनुदान/परिदान

- 8.1 परियोजनाओं की स्थापना की पूंजी लागत के मद में योगदान की प्रकृति वाले सरकारी अनुदानों को कैपिटल रिजर्व के रूप में माना जाता है। सौर प्रणालियों/उपकरणों की स्थापना को कैपिटल रिजर्व के अंतर्गत दर्शाया गया है।
- 8.2 अधिप्राप्त की गई विशिष्ट स्थायी परिसंपत्तियों में अनुदान को संबध परिसंपत्तियों की लागत से कटौती के रूप में दर्शाया गया है।
- 8.3 सरकारी अनुदान/सब्सिडी प्राप्ति के आधार पर भारित होता है, जहां वित्तीय वर्ष से संबंधित अनुदान जारी करने की स्वीकृति 31 मार्च से पहले प्राप्त होती है और अनुदान की वास्तविक प्राप्ति अगले वित्तीय वर्ष में होती है, तो अनुदान को अक्रूअल (प्रोद्भवन) आधार पर माना जाता है और इतनी ही राशि को अनुदाता की ओर से वसूली योग्य दर्शाया जाता है।
- 8.4 पूंजी व्यय के इस्तेमाल के संदर्भ में (अक्रूअल (प्रोद्भवन) आधार पर), सरकारी अनुदानों और यूजीसी से मिलने वाले अनुदानों को पूंजी निधि/कॉर्पस फंड में स्थानांतरित किया जाता है और आय तथा व्यय खाते पर भारित अवमूल्यन के बराबर राशि को इस निधि में काट लिया जाता है और एएस-12 के अनुसार इसे आय तथा व्यय खाते के क्रेडिट (जमा) पक्ष में दर्शाया जाता है।
- 8.5 राजस्व व्यय की पूर्ति के लिए सरकारी और यूजीसी अनुदान (अक्रूअल आधार पर) को इस्तेमाल के संदर्भ में उस वर्ष के लाभ के रूप में माना जाता है जिसमें वह विमुक्त हुआ था।
- 8.6 आय/व्यय खाते के अतिरेक/कमी, यदि कोई हो तो, उसे सामान्य निधि (जनरल फंड) में स्थानांतरित किया जाता है।

9. विदेशी मुद्रा लेन-देन

- 9.1 विदेशी मुद्रा में किये गये लेनदेन की तारीख की विनियम दरों पर लेखाकृत किया गया है।
- 9.2 वर्तमान परिसम्पत्तियों, विदेशी मुद्रा ऋण तथा वर्तमान देयताओं को वर्ष की समाप्ति लागू विनियम दरों पर रूपांतरित किया गया है तथा परिणामस्वरूप हुये लाभ/हानि को स्थायी परिसम्पत्तियों की लागत समायोजित किया गया है।

10. सेवानिवृत्ति परिलाभ

- 10.1 कर्मचारियों के लिए संचित अवकाश नकदीकरण लाभ (एक्यमुलेटेड लीव एनकैशमेंट बेनिफिट) के प्रावधान को इस आधार पर माना जाता है कि कर्मचारी साल के अंत में इसका लाभ पाने के योग्य होंगे।
- 10.2 नई पेंशन योजना में योगदान अक्रूअल आधार पर किया जाता है।

11. निर्धारित कोष तथा ब्याज आय

इस प्रकार के कोष से प्राप्त तथा बकाया ब्याज आय को कोष में शामिल किया जा रहा है तथा इसे विश्वविद्यालय की आय नहीं माना जाता है।



31 मार्च, 2014 को समाप्त अवधि के खातों की अनुसूचियाँ

- 12 **एनडाउमेंट फंड (दान कोष)**
दान कोष विभिन्न निजी दानदाताओं, ट्रस्टों तथा अन्य संगठनों से कोई विशेष विभाग (चेयर) तथा/या पदकों (मेडल) और पुरस्कारों आदि, जैसा दानदाताओं द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, के लिए प्राप्त किए जाते हैं। चेयर, पदक और पुरस्कारों आदि के लिए व्यय को संबंधित दान कोष से प्राप्त कर, शेष को आगे के लिए ले जाया जाता है।
- 13 **प्रायोजित परियोजनाएं**
जारी प्रायोजित परियोजनाओं के संबंध में, प्रायोजकों से प्राप्त राशि को प्रायोजित परियोजनाओं के शीर्षांकन के साथ वर्तमान देनदारियों के लिए भारित किया जाता है। यदि तथा जब इस प्रकार की परियोजनाओं के विरुद्ध व्यय किए जाते हैं/अग्रिम का भुगतान होता है, तो आवंटित व्यय शीर्ष को संबद्ध परियोजना खाते से नामित किया जाता है।
- 14 **आयकर**
विश्वविद्यालय की आय धारा 10 (आयकर अधिनियम का 23 ग) के तहत आयकर से मुक्त है, इस वजह से लेखा खातों में कर का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
- 15 **संशोधित प्रारूप**
खातों का नया प्रारूप वित्तीय वर्ष 2013-14 से लागू किया गया है, तथा इसी अनुरूप पूर्व वर्षों के आंकड़े/शुरुआती शेष को, आंकड़ों की उपलब्धता के अनुसार, यथाआवश्यक रूप से पुनःसमूहीकृत/पुनः व्यवस्थित किया जा रहा है।



31 मार्च, 2014 को समाप्त अवधि के खातों की अनुसूचियाँ

अनुसूची 22 – आकस्मिक देयताएं और लेखाओं पर टिप्पणियाँ

1. **आकस्मिक देयताएं**
 - 1.1 इकाईयाँ, जिन्हें ऋण नहीं माना गया है, के संबंध में दावे – रु. शून्य (विगत वर्ष रु. शून्य)
 - 1.2 निम्न के संबंध में:
 - इकाई द्वारा/उसकी ओर से दी गई बैंक गारंटी – रु. शून्य (विगत वर्ष रु. शून्य)
 - इकाई की ओर से बैंक द्वारा खोला गया साख पत्र – रु. शून्य (विगत वर्ष रु. शून्य)
 - बैंक के साथ बट्टाकृत बिल – रु. शून्य (विगत वर्ष रु. शून्य)
 - 1.3 निम्न के संबंध में विवादित मांग
 - आयकर – रु. शून्य (विगत वर्ष रु. शून्य)
 - बिक्रीकर – रु. शून्य (विगत वर्ष रु. शून्य)
 - नगरपालिका संबंधी कर – रु. शून्य (विगत वर्ष रु. शून्य)
 - 1.4 आदेशों का निष्पादन नहीं किए जाने तथा इकाई द्वारा दावा किये जाने पर पार्टियों से दावों के संबंध में – रु. शून्य (विगत वर्ष रु. शून्य)
 - 1.5 लैपटॉप की गुमशुदगी के मद्देनजर लेखा खातों में कोई वित्तीय संधारण नहीं किया गया है, क्योंकि यह मामला निरीक्षण हेतु लंबित है।
 - 1.6 दिनांक 24 जुलाई, 2013 को एक आग लगने की घटना के दौरान, कुछ परिसंपत्तियां जल गईं/ क्षतिग्रस्त हो गईं, और उनमें से कुछ को बट्टे खाते में नहीं डाला गया है और मामला प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा, दिनांक 7 जून, 2013 को विश्वविद्यालय की अंबेसडर कार में आग लग गई, और इसका दावा भी प्रक्रियाधीन है। विश्वविद्यालय अधिकारियों से बट्टे खाते की स्वीकृति के बाद लेखा खातों में आवश्यक प्रविष्टि की जाएगी।
2. **पूँजीगत वचनबध्ताएं**

पूँजी खाते पर निविदाओं का अनुमानित मूल्य निष्पादित किया जाना है और येन 597229, अमेरिकी डॉलर 81121, चीनी सीएचएफ 15514 तथा यूरो 148431 के लिए नहीं उपलब्ध है (कुल अग्रिम)। (विगत वर्ष रु. शून्य)
3. **लीज अनुबंध**

संयंत्र तथा मशीनों के लिए वित्तीय किराया प्रबंध के अंतर्गत किराये की भावी देनदारियों की राशि – रु. शून्य (विगत वर्ष रु. शून्य)
4. **वर्तमान परिसम्पतियाँ, ऋण एवं अग्रिम**

प्रबंधन की राय के अनुसार वर्तमान परिसम्पतियों, ऋणों तथा अग्रिम का वसूली पर मूल्य, सामान्य व्यावसायिक स्थितियों में, तुलन पत्र में प्रदर्शित समग्र मूल्य के लगभग बराबर है।
5. **कराधान**

विश्वविद्यालय की आय को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 (23 ग), के तहत आयकर से छूट प्राप्त है, इसलिए लेखा में आयकर का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।



31 मार्च, 2014 को समाप्त अवधि के खातों की अनुसूचियाँ

अनुसूची 22 - आकस्मिक देयताएं और लेखाओं पर टिप्पणियाँ जारी

6	विदेशी मुद्रा लेनदेन	(राशि-रु. लाखों में)	
		वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
6.10	<u>सी.आई.एफ. के आधार पर परिगणित आयात का मूल्य:</u>		
	-- तैयार उत्पादों की खरीद	-	-
	-- कच्चा माल तथा संघटक (मार्गस्थ माल सहित)	-	-
	-- पूंजीगत उत्पाद	702.86	163.68
	-- स्टोर्स, स्पयेर्स तथा उपभोग्य वस्तुएं	-	-
6.20	<u>विदेशी मुद्रा में व्यय</u>		
	क) यात्रा	-	-
	ख) वित्तीय संस्थानों/बैंकों को विदेशी मुद्रा में किये धन प्रेषण तथा ब्याज का भुगतान	-	-
	ग) अन्य व्यय	-	-
	-- बिक्री पर कमीशन	-	-
	-- विधिक एवं व्यावसायिक व्यय	-	-
	-- विविध व्यय	-	-
6.30	<u>उपार्जन:</u>		
	-- एफओबी आधार पर निर्यात का मूल्य	-	-
6.40	<u>लेखा परीक्षकों को मानदेय:</u>		
	लेखा परीक्षकों (ऑडिटर्स) के अनुसार		
	-- कराधान मामले	-	-
	-- प्रबंधन सेवाओं हेतु	-	-
	-- प्रमाणीकरण हेतु	-	-
7.	<u>अन्य</u>		
7.10	विगत वर्ष से सम्बन्ध) आंकड़ों को यथावश्यक रूप से पुनः समूहबध)/पुनर्व्यवस्थित किया गया है। एतद्विषयक आवर्ती अनुदान एएस 12 के अनुसार पुनः निर्मित किया गया है।		
7.20	निम्न बैंक खातों पर कोई ब्याज अर्जित नहीं किया। बैंक खाता संख्या 666710210000001 अंतिम शेष (लाख में) 39.34		



31 मार्च, 2014 को समाप्त अवधि के खातों की अनुसूचियाँ

अनुसूची 22 - आकस्मिक देयताएं और लेखाओं पर टिप्पणियाँ जारी

		(राशि-रु. लाखों में)	
		वर्तमान	विगत
		वर्ष	वर्ष
7.30	आर के पाटनी राजकीय महाविद्यालय को अभी तक देय किराया – रु. 67.79 लाख	-	-
7.40	कर्मचारियों की मृत्यु/सेवानिवृत्ति पर गेच्युटी हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया।	-	-
7.50	पी. जी. राजकीय महाविद्यालय को अग्रिम भुगतान दिनांक 14.09.2010 राशि रु. 0.24 लाख और कार्यशील महिला छात्रावास को अग्रिम भुगतान दिनांक 14.09.2010 राशि रु. 0.39 मिलान हेतु बकाया है।		
8.	8.1	वृक्षारोपण पर व्यय, भोजनालय उपस्करों तथा आरओ सिस्टम की खरीद को, सीपीडबल्यूडी सीयूआरएजे परियोजनाओं के निष्पादन प्रमाणपत्र तथा व्यय विवरण की मांग में पूंजीगत नहीं किया गया है।	
	8.2	विभिन्न प्रायोजित परियोजनाओं के संदर्भित शीर्षव्यय में विश्वविद्यालय अंश को, विश्वविद्यालय स्तर पर किसी दिशानिर्देश के अभाव में अब तक विश्वविद्यालय खाते में अंतरित नहीं किया गया है। तथापि, नीतिगत दिशानिर्देश प्रक्रियाधीन हैं।	
	8.3	दुकानों से वसूल किया जानेवाला किराया अब तक लेखा खातों में संधारित नहीं किया गया है, क्योंकि किराया वसूली की दर अभी तक तय नहीं की गई है।	
	8.4	वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान, यूजीसी ने विलयित योजना अनुदान के तौर पर रु. 25 लाख जारी किए। क्योंकि, वर्तमान योजनावधि यथा यूजीसी द्वारा 2012 से 2017 के लिए विलयित अनुदानों को आवर्ती अनुदानों के साथ मिला दिया गया है, तदनुसार विलयित योजनाओं के विरुद्ध प्राप्त अनुदान/ व्यय को सामान्य आवर्ती अनुदानों के साथ मिला दिया गया है।	
	8.5	विभिन्न छात्रावास भवनों, बैंक भवनों, वीसी बंगले तथा अन्य भवनों को, संपूर्ण व्यय विवरणों, सीपीडबल्यूडी/ संदर्भ विभागों के अंतिम निष्पादन प्रमाणपत्र की मांग के अनुसार अबतक लेखा खातों में पूंजीकृत नहीं किया गया है। इसके सिवा, इन भवनों को अबतक विश्वविद्यालय द्वारा अधिगृहीत भी नहीं किया गया है। संपूर्ण व्यय विवरणी, निष्पादन प्रमाणपत्र तथा अधिग्रहण प्रमाणपत्र की प्राप्ति के उपरांत, इसे पूंजीकृत किया जाएगा, तथा तदनुसार यथाप्रयुक्त अवमूल्यन प्रभारित किया जाएगा।	
9.	अनुसूची 1 से 22 बाद में जोड़ी गई हैं और 31 मार्च 2014 के बैलेंसशीट तथा उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के आय एवं व्यय खाते का अभिन्न अंग हैं।		



प्राप्तियाँ एवं भुगतान एक नज़र में



31 मार्च, 2014 को समाप्त अवधि/वर्ष हेतु प्राप्तियाँ और भुगतान लेखा

(रु. लाखों में)

प्राप्तियाँ	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष	भुगतान	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
I प्रारंभिक शेष			I व्यय		
क) हस्तगत नकदी	1.51		क) संस्थापनागत व्यय	1,208.80	705.45
ख) बैंक शेष	-		ख) प्रशासनिक व्यय	596.21	331.57
i) चालू खातों में			II विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों की तुलना में किए गए भुगतान		
ii) जमा खातों में			मेरिट छात्रवृत्ति के लिए सामुदायिक कॉलेज योजना	14.89	10.39
iii) बचत खाते	818.93	1,226.02	प्रायोजक-चेयर ऑफ प्रोफेसर एकीकृत योजना	2.16	
II. प्राप्त अनुदान			छात्र सहायता कोष	6.65	
क) भारत सरकार से	11,559.29	10,000.00	छात्र कल्याण कोष	25.00	
ख) राज्य सरकार से			छात्र कल्याण कोष	0.01	
ग) अन्य स्रोतों से (विवरण)			यूजीसी - ग्रांट स्कूल ऑफ एजुकेशन	0.08	
एमई/एम.टेक छात्रों हेतु पीजी छात्रवृत्तियाँ हेतु सहायता अनुदान एकीकृत योजना हेतु सहायता अनुदान	0.88	22.82	नॉन नेट एमफिल/पीएचडी के लिए अनुदान सहायता अध्येतावृत्ति योजना	200.00	
प्रायोजक-चेयर ऑफ प्रोफेसर	15.00	25.00	एमई/एम.टेक छात्रों हेतु पीजी छात्रवृत्तियाँ हेतु सहायता अनुदान	6.25	
यूजीसी ग्रांट - स्कूल ऑफ एजुकेशन	1,000.00		मानदेय-शोध परियोजना	20.50	
आर्थिक सहायता (सोलर सिस्टम)	11.94		अन्य व्यय- शोध परियोजना	0.01	
कर्मचारी (स्टाफ) कल्याण कोष	0.30		डीएसटी- प्रेरित संकाय पुरस्कार	0.36	
बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय	1.03		अध्येता	7.38	
सीएसआईआर	1.60		परियोजना- डॉ. तरुन भट्ट	1.32	
III. निवेशों से प्राप्त आय			यूजीसी छात्रवृत्ति	0.59	
क)			III निवेश तथा जमाएं		
ख) निजी निधियों से (अन्य निवेश)			क) निर्दिष्ट/स्थायी (एंडोमेंट) कोष में से		
IV. प्राप्त ब्याज			ख) निजी निधियों में से (निवेश-अन्य)		
क) बैंक जमाओं पर	275.01	191.79	IV अचल सम्पत्तियों एवं पूंजीगत कार्य प्रगति पर व्यय		
ख) ऋण, अग्रिम आदि			क) अचल सम्पत्तियों की खरीद	679.64	563.03
V. अन्य आय (स्पष्ट करें)			ख) पूंजीगत कार्य प्रगति पर	6,000.00	4,684.97
शुल्क/अंशदान	102.69	68.96	V अतिरिक्त राशि ऋणों का लौटाना		
भर्ती शुल्क संग्रहण			इलेक्ट्रानिक्स और सूचना तकनीक नवीनीकरण विभाग	12.99	
अन्य	11.95	23.73	संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	0.20	
VI. उधार ली राशि			राष्ट्रीय उच्च गणित बोर्ड	1.99	
VII. अन्य कोई			एसटीआईडीई (स्टाईड)	5.00	
विश्वविद्यालय व्यवस्थापक प्रबंधन पर एआईयू राष्ट्रीय कार्यशाला		0.55	क) भारत सरकार को		
सामुदायिक संसाधन एवं गठबंधन बैठक (कम्युनिटी रिपोर्ट्स एंड एलायन्स मीटिंग)		2.06	पीएमआई	2.01	
कॉम्प्लेक्स विश्लेषण पर राष्ट्रीय सम्मेलन		3.00	ख) राज्य सरकार को		
राष्ट्रीय कार्यशाला-हिन्दी विभाग	0.01	1.38	ग) निधि के अन्य प्रदाताओं को		
शोध परियोजना-सॉलिड वेस्ट		7.29	प्रायोजित अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति के एवज में प्राप्तियाँ		
शोध परियोजना- एटीम		7.00			
पूर्ण योग (ग/च)	13,800.14	11,579.60	पूर्ण योग (ग/च)	8,808.46	6,295.41



31 मार्च, 2014 को समाप्त अवधि/वर्ष हेतु प्राप्तियाँ और भुगतान लेखा

(रु. लाखों में)

प्राप्तियाँ	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष	भुगतान	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
पूर्ण योग (ख/च)	13,800.14	11,579.60	पूर्ण योग (ख/च)	8,808.46	6,295.41
पीएचडी छात्रों की जमाएं		0.80	VI वित्तीय प्रभार (ब्याज)		
छात्रों की जमाएं	0.59	3.36			
प्राप्त ईएमडी	7.78	29.95	VII अन्य भुगतान (स्पष्ट करें)		
सीपीएफ देयता		9.34	अग्रिम	626.28	3,462.68
ग्रेज्युटी देयता		3.03	पूर्वचुकता व्यय	14.81	44.03
अवकाश वेतन देयता		1.25	ड्यूटी तथा टैक्स		2.23
परफॉरमेंस सिक्योरिटी		5.77	डेब्टर में सम्मिलित		111.79
माल हेतु विविध जमाकर्ता		3.35	क्रेडिटर में	21.80	877.66
अध्येतावृत्ति		6.25	सांविधिक देयता में	12.38	
छात्र सहायता कोष		0.37	वेतन देय	55.00	
विज्ञान एवं तकनीक विभाग	19.00		एकीकृत योजना के लिए भुगतान		8.95
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय	12.89		विभिन्न प्रायोजित योजना के लिए भुगतान		3.11
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	0.03		बाहरी देयताओं का भुगतान		16.13
राष्ट्रीय उच्च गणित बोर्ड	1.00		वेतन कटौती		0.40
इको. एप्ली. पर राष्ट्रीय संगोष्ठी	0.06		एनपीएस के लिए अतिरिक्त वसूली		0.05
मैस अग्रिम	28.71		सुरक्षा रखरखाव का भुगतान		0.19
दयप्रायोजित परियोजनाओं में प्राप्ति में Inc			सीपीएफ देयता	5.00	
कोषों के एवज में दायित्व			जमा की वापसी	1.97	
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय	13.40		मैस भुगतान	8.64	
परमाणु ऊर्जा विभाग	1.50		शिक्षण कर्मचारी (टीचिंग स्टाफ) वेतन (शिक्षा)	9.28	
विज्ञान एवं तकनीक विभाग राजस्थान सरकार	0.12		कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पर राष्ट्रीय सम्मेलन	2.10	
विज्ञान और अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड	45.50		डेल इंडिया	0.07	
रामानुजन मैथमेटिकल सोसायटी	1.26		महाप्रबंधक दूरसंचार टेलीकॉम बीएसएनएल	1.47	
भारतीय अर्थमितीय सोसायटी	1.00		इंडियन रेप्रोग्राफिक राइट	0.19	
विभागीय निधि विभागीय कोष देय	0.33		पोस्ट मास्टर	0.50	
सीयूसीईटी 2013	78.76		अग्रिम पार्टी	2.19	
बैंक ऑफ बड़ौदा	0.64				
वस्तुओं और सेवाओं के लिये विविध लेनदारों में सम्मिलित सांविधिक बकाया	3.90		VIII अंतिम शेष		
सीआईसीएसए 2013	5.00		क) हस्तगत नकदी	0.53	1.51
अन्य देय	4.01		ख) बैंक शेष		
वर्तमान देयताओं में अन्य सम्मिलित			i) चालू खातों में		
			ii) जमा खातों में		
			iii) बचत खाते	4,459.30	818.93
योग	14,029.96	11,643.07	योग	14,029.96	11,643.07




प्राप्तियाँ और भुगतान लेखा



एक नजर में प्राप्तियाँ (वित्तीय वर्ष वार)


(रु. लाखों में)





आवर्ती तथा गैरआवर्ती व्ययों हेतु निधियों का उपयोग


(रु. लाखों में)





आवर्ती व्यय एक नज़र में (वित्तिय वर्ष 2013-14)

(रु. लाखों में)



कुल व्यय - रु. 1805.01 लाख

गैर आवर्ती अनुदान का उपयोग एवं पूंजीकरण (कार्य प्रगति को सम्मिलित) एक नज़र में (वित्तीय वर्ष 2013-14)

(रु. लाखों में)

